मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2017-18

"प्रशासन की डोर, सुशासन की ओर"

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह

''परख'' वीडियो कॉन्फ्रेंस

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2017 - 2018

''प्रशासन की डोर, सुशासन की ओर''

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	**सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्रीगण एवं अधिकारी**	1 - 2
	भाग - एक	3 - 69
2.	**विभागीय संरचना**	3 - 11
	2.1 विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	
	(क) राजनैतिक	
	(ख) सामान्य	
	(ग) नियुक्तियॉ एवं सेवाएं	
	(घ) प्रशिक्षण	
	(च) प्रशासनिक सुधार एवं सतर्कता	
	(छ) कर्मचारी कल्याण	
	(ज) विविध	
	2.2 विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम	
	2.3 विभाग के आयोग तथा कार्यालय	
	2.4 विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं का नाम	
3.	**विभाग के महत्वपूर्ण विषय**	12 - 41
	3.1 मंत्रि-परिषद	
	3.2 मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम एवं मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम	
	3.3 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय	
	3.4 आर्डर ऑफ प्रेसिडेन्स	
	3.5 मंत्री/राज्य मंत्री का दर्जा	
	3.6 मंत्रीगण का स्वेच्छानुदान	
	3.7 पारितोषिक एवं अलंकरण	
	(1) अशोक चक्र श्रृंखला पुरस्कार	
	(2) राज्य स्तरीय वीरतापूर्ण कार्य पुरस्कार	
	(3) राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार	
	(4) संत महापुरुषों के नाम पर पुरस्कार	
	(5) इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक सौहार्द पुरस्कार	
	(6) भैया श्री मिश्रीलाल गंगवाल सदभावना पुरस्कार	
	(7) मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	
	(8) सुशीलचन्द्र वर्मा पुरस्कार	
	(9) स्वर्गीय देवी प्रसाद शर्मा पुरस्कार	

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या

(10) प्रादेशिक सैनिकों को पुरस्कार

3.8 प्रादेशिक सेना दिवस हेतु अनुदान

3.9 अन्तर्विभागीय समिति

3.10 सड़क दुर्घटना में घायलों को आर्थिक सहायता अनुदान

3.11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

3.12 मीसा/डीआईआर में निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान निधि

3.13 कार्मिक नीति

3.14 आरक्षण

3.15 लेखा शाखा

3.16 कर्मचारी कल्याण

3.17 कार्य नीति

3.18 निरीक्षण

3.19 प्रशासनिक सुधार

(1) ''मंथन 2014'' समूह द्वारा की गई अनुशंसाओं पर कार्यवाही

(2) सुराज मिशन

(3) अधिकारियों द्वारा मासिक डायरी का संधारण

(4) जन सुनवाई

(5) परख

(6) सुशासन

(7) ''आओ बनायें अपना मध्यप्रदेश'' सम्मेलनों का आयोजन

(8) मंत्रालय में ई-ऑफिस परियोजना का क्रियान्वयन

3.20 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन

3.21 संसदीय कार्य

3.22 मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन

3.23 मध्यप्रदेश मंत्रालय पुस्तकालय तथा अभिलेखागार

3.24 स्थापना सम्बन्धी कार्य

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा

(3) मंत्रालयीन (राजपत्रित) अधिकारियों की स्थापना

(4) मंत्रालयीन (अराजपत्रित) कर्मचारियों की स्थापना

(5) अधीक्षण शाखा (चतुर्थ-श्रेणी स्थापना)

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
4.	**विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विभागाध्यक्ष कार्यालय/संगठन की महत्वपूर्ण गतिविधियां**	42 - 69
	4.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग	
	4.2 आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी	
	4.3 मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग	
	4.4 लोकायुक्त संगठन	
	4.5 आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ	
	4.6 मुख्य तकनीकी परीक्षक (सर्तकता) संगठन	
	4.7 विभागीय जांच आयुक्त	
	4.8 आवासीय आयुक्त, म.प्र. भवन, नई दिल्ली	
	4.9 मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग	
	4.10 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग	
	4.11 प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय एकता समिति	
	4.12 राज्य सत्कार कार्यालय	
	भाग - दो	70 - 72
5.	**बजट**	
	5.1 मांग संख्या - 01	
	5.2 मांग संख्या - 02	
	भाग - तीन	73 - 74
6.	राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	
	भाग - चार	75 - 76
7.	जांच आयोग	
	भाग - पांच	77
8.	अभिनव योजना/कार्य	
	भाग - छः	77
9.	निकाले जा रहे प्रकाशन	
	भाग - सात	78
10.	महिला सशक्तिकरण	
	भाग - आठ	79 - 80
11.	सारांश	
	परिशिष्ट - एक - सामान्य प्रशासन विभाग के कक्षों मे कार्य आवंटन	81 - 90
	परिशिष्ट - दो - राज्य शासन के विभागों के नामों की सूची	91 - 92

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2017 - 2018

1. सामान्य प्रशासन विभाग के माननीय मंत्रीगण एवं अधिकारी

मुख्यमंत्री	श्री शिवराज सिंह चौहान
राज्य मंत्री	श्री लाल सिंह आर्य
मुख्य सचिव	श्री बसंत प्रताप सिंह
अपर मुख्य सचिव	श्री प्रभांशु कमल
प्रमुख सचिव (कार्मिक)	श्रीमती रश्मि अरूण शमी
अपर सचिव	श्री के.के.कातिया (संविदा पर नियुक्त)
उप सचिव	श्री संजीव श्रीवास्तव श्रीमती उषा परमार श्री धरणेन्द्र कुमार जैन श्री सुधीर कोचर (कार्मिक) श्रीमती अर्चना सोलंकी (कार्मिक) श्री सी.बी.पड़वार डॉ. अमिताभ अवस्थी श्री एस.सी.रामसरिया (संविदा पर नियुक्त)
राज्य शिष्टाचार अधिकारी पदेन उप सचिव	श्री संजय कुमार

अवर सचिव	श्रीमती माधवी नागेन्द्र श्रीमती मधु नाहर श्री एम. के. बातव (कार्मिक) श्री आर. एन. चौहान श्रीमती श्यामबाई धुर्वे श्री फजल मोहम्मद (संविदा पर नियुक्त)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	श्री राजेश राठौर
उप संचालक (कर्मचारी कल्याण संगठन)	रिक्त
मुख्य लेखा अधिकारी	श्रीमती संतोष सोनकिया
वरिष्ठ लेखा अधिकारी एवं पदेन अवर सचिव (लेखा)	श्री सतीश उपाध्याय
लेखा अधिकारी	श्री दीपक धगट
सत्कार अधिकारी	श्री संजय सिंह चौहान

भाग - एक

2. विभागीय संरचना

सामान्य प्रशासन विभाग राज्य शासन का मुख्य विभाग है। इस विभाग के अन्तर्गत मुख्य रूप से नीति संबंधी विषय, अन्तर्विभागीय समन्वय, शासकीय सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियम/निर्देश, प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना एवं सेवायें, कार्मिक प्रशासनिक सुधार, सतर्कता तथा प्रशिक्षण तथा राज्यपाल सचिवालय से संबंधित कार्य संपादित किये जाते है।

विभाग में कार्य संपादन हेतु वर्तमान में एक अपर मुख्य सचिव, एक प्रमुख सचिव (कार्मिक), एक अपर सचिव (संविदा पर नियुक्त), आठ उप सचिव, एक राज्य शिष्टाचार अधिकारी एवं पदेन उप सचिव, एक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, एक मुख्य लेखा अधिकारी, छः अवर सचिव, एक उप संचालक (कर्मचारी कल्याण संगठन) (रिक्त), एक वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं पदेन उप सचिव (लेखा), एक सत्कार अधिकारी तथा एक लेखा अधिकारी पदस्थ हैं।

विभाग के इक्कीस कक्ष तथा सात प्रकोष्ठ हैं। कक्षों एव प्रकोष्ठों में संपादित होने वाले कार्यों का विवरण **परिशिष्ट - एक** पर दर्शाया गया है।

विभाग में प्रतिपादित महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः-

(2.1) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. शासन के कार्य आवंटन नियम तथा कार्य नियम
2. राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार तथा छुट्टी के संबंध में अधिकार
3. राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति और त्याग-पत्र की अधिसूचना जारी करना
4. मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों और संसदीय सचिवों के वेतन और भत्ते
5. उच्च न्यायालय का गठन तथा संरचना
6. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्याग-पत्र, वेतन, अवकाश, पेंशन तथा भत्ते
7. राजस्व मण्डल-अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति
8. संघ लोक सेवा आयोग से समन्वय
9. राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित मामले -

   (एक) सेवा की शर्तें

   (दो) कृत्यों का परिसीमन

10. राज्य निर्वाचन आयोग

11. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग से संबंधित कार्य :

(क) मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में अभिकरणों से प्राप्त शिकायतों के बारे में जांच करने के लिये नोडल विभाग के रुप में कार्य करना तथा निम्नलिखित अभिकरणों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(1) भारत सरकार,

(2) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,

(3) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

(ख) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार से संबंधित कार्य

राजनैतिक

12. राजनैतिक क्रियाकलाप
13. पाक्षिक प्रतिवेदन
14. कूट लेख और गूढ़ लेख (कोड्स एण्ड सायफर्स)
15. भारत- पाक संबंध
16. युद्ध और शांति
17. संयुक्त राष्ट्र संघ
18. भारत की प्रतिरक्षा
19. नौ सेना, थलसेना, वायुसेना
20. भारत में प्रवेश और प्रवास और उससे निष्कासन
21. विलीन रियासतों से संबंधित मामले, अर्थात् -

(एक) एकीकरण करार

(दो) राजाओं के व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार, उनकी निजी थैलियाँ, निजी सम्पत्ति और उनके परिवार के सदस्यों के भत्ते

(तीन) विलीनीकरण के पूर्व ऐसी रियासतों में राज्य समारोह के रुप में मनाये जाने वाले समारोह, और

(चार) विभागीय क्रियाकलापों का समन्वय

22. पारितोषक और अलंकरण
23. राष्ट्रीय एकीकरण
24. भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा
25. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से उद्भूत एकीकरण संबंधी विषय
26. क्षेत्रीय परिषद्
27. न्यायिक और कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण
28. प्रादेशिक सेना

29. संसद और विधान सभा के सदस्यों और प्रशासन के बीच संबंध
30. सम्मेलन-संसद सदस्य/आयुक्त/कलेक्टर
31. जिला सलाहकार समितियां
32. राष्ट्रपति से वित्तीय सहायता से संबंधित मामले
33. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि
34. राज्य के दान/वित्तीय सहायता तथा अनुदान आदि
35. मंत्रियों की विवेकाधीन निधि/जन-सम्पर्क दौरे
36. स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को पेंशन एवं राजनैतिक पेंशन
37. मीसा बन्दियों को सम्मान निधि

सामान्य

38. राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत
39. राज्य चिन्ह
40. राष्ट्रीय त्यौहार
41. राज्य के उत्सव और समारोह
42. शासकीय प्रयोजनों के लिये राष्ट्रीय कलेण्डर
43. शासकीय पोशाक
44. पूर्वता-अधिपत्र
45. महत्वपूर्ण घटनाएं
46. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु और संवेदना-संदेश
47. अतिविशिष्ट व्यक्तियों का आगमन
48. राज्य अतिथि गृह और राज्य अतिथियों का आतिथ्य
49. मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली से संबंधित विषय
50. भौगोलिक नामों में परिवर्तन
51. शासकीय भवनों का नामकरण
52. राजपत्र (असाधारण)
53. अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री-सरकारी नीलामी

नियुक्तियां एवं सेवाएं

54. भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सिविल सेवा/प्रशासनिक सेवा से संबंधित समस्त विषय (वित्त विभाग को आवंटित किये गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ - नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्नतियाँ, भविष्य निधियां, अग्रिम, प्रतिनियुक्तियाँ, दण्ड तथा अभ्यावेदन
55. सिविल सेवा और सेवावृत्त
56. नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण

57. वृत्ति संबंधी योजनाएं बनाना (कैरियर प्लानिंग)
58. मंत्रालय -
    (एक) अधिकारी तथा स्थापना
    (दो) प्रशासनिक सुधार
    (तीन) भवन
59. मंत्रालय में पदेन प्रास्थिति प्रदान करने का प्रस्ताव
60. मंत्रियों के निजी कर्मचारियों से संबंधित विषय
61. राज्य लोक सेवाएं-सेवा शर्तों और उनके निर्वचन के विशेष संदर्भ में सामान्य नियम और आदेश जारी करना
62. विभागों को उनके कृत्यों तथा विषय से सुसंगत समुचित कार्मिक नीतियां बनाने में सहायता देना
63. समन्वय के मामले (सेवा विषयों से संबंधित)
64. विभाग के परामर्श से विभिन्न सेवाओं के लिए भर्ती की नीति अवधारित करना
65. शासकीय सेवा में उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिये उनके चरित्र और पूर्ववत् तथा उपयुक्तता का सत्यापन करने के बारे में सामान्य नीति
66. श्रेणी (ग्रेड्स), वेतनमान तथा पदोन्नति के अवसरों के संबंध में उनकी संलग्नता तथा संतुलन बनाये रखते हुए युक्तिसंगत सेवा संरचनाओं को अवधारित करना
67. वेतन आयोग से संबंधित कार्य
68. यह सुनिश्चित करना कि विभागों में समुचित सेवा नियम, जिनमें पदों की अनुसूचियां भी सम्मिलित हैं, प्रारुपित तथा प्रवर्तित किये गए हैं
69. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, निःशक्तजनों, भूतपूर्व सैनिकों एंव महिलाओं के लिये सरकारी सेवाओं में पदों के आरक्षण और शर्तों से संबंधित नीति
70. सीधी भरती तथा प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच पद प्रभाजन करने के लिये युक्तिसंगत तथा न्यायसंगत सिद्धांतों को विकसित करना
71. पदक्रम सूचियां तैयार करने तथा प्रकाशित करने एवं अभ्यावेदनों के निपटारे के संबंध में पर्यवेक्षण करना
72. विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकों का समय पर आयोजन तथा प्रोन्नत व्यक्तियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कोटे की उचित रुप से पूर्ति सुनिश्चित करना।
73. परिवीक्षा तथा स्थायीकरण से संबंधित नियमों के पालन का पर्यवेक्षण।
74. अन्तर्विभागीय सेवा के मामले, जैसे समता, प्रतिनियुक्ति या सेवाओं की मूल शर्ते आदि तय करना
75. सामान्य स्वरुप तथा सभी पर लागू होने वाले सेवा के मामलों में विभागों की ओर से लोक सेवा आयोग से सम्पर्क स्थापित करना

76. अधिवार्षिकी आयु प्राप्त अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाने या उनके पुनर्नियोजन के बारे में सामान्य नीति
77. सिविल पदों पर व्यक्तियों की मानदेय नियुक्ति

प्रशिक्षण

78. शासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति या विदेश में प्रतिनियुक्ति
79. नव नियुक्तों के लिये तथा साथ ही पुनश्चर्या तथा सेवा में प्रशिक्षण की अपेक्षाओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना
80. प्रशासन-प्रशिक्षण-आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी से संबंधित विषय (क) विभागीय परीक्षाऐं

प्रशासनिक सुधार एवं सतर्कता

81. प्रशासनिक सुधार-संगठन और कार्य पद्धति
82. कर्मचारी निरीक्षण इकाई
83. प्रशासकीय सतर्कता प्रकोष्ठ
84. लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त
85. ऐसे समस्त विभाग एवं उन विभागों के अधीन गठित संस्थाएं, जो निर्माण कार्य कराते हैं, उनके द्वारा किए गए निर्माण एवं निर्माण पद्धतियों पर निगरानी
86. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (22.6.12 से परिवर्तित) से संबंधित कार्य
87. सरकारी कर्मचारियों में सतर्कता और अनुशासन से संबंधित सभी नीति संबंधी विषय
88. विशेष पुलिस स्थापना
89. जांच आयोग

कर्मचारी कल्याण

90. शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी (सेवा) संघों को मान्यता देना
91. संयुक्त परामर्शदात्री समिति तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिये बैठक का आयोजन
92. मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के निर्वाचित प्रदेश एवं जिला स्तर कर्मचारी पदाधिकारियों को स्थानांतरण में छुट संबंधी।

विविध

93. विभागीय नीति से भिन्न सामान्य नीति संबंधी प्रश्न, जिसमें ऐसे अवशिष्ट विषय सम्मिलित हैं, जो किसी अन्य सूची में न आए हों.

94. (एक) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अधीन अभियोजन की मंजूरी।

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-197 तथा विशेष/अन्य अधिनियमों के अंतर्गत लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन की मंजूरी।

(2.2) <u>विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम</u>

1. मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम
2. मध्यप्रदेश शासन कार्य नियम
3. मध्यप्रदेश मंत्री, वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1972 और उसके अधीन बनाये गए नियम
4. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954
5. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1973
6. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1957
7. मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2008
8. मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972
9. मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन बनाये गए नियम
10. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 तथा उसके अधीन बनाये गए नियम
11. मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979
12. जांच आयोग अधिनियम, 1952
13. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
14. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1995
15. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994
16. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998
17. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002
18. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (लोक सेवाओं और पदों में महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997
19. भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985
20. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965
21. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

22. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966
23. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
24. मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005
25. मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (भारत सरकार द्वारा निर्मित एवं प्रकाशित)
26. लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008
27. मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम 2011
28. म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013
29. मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012)
30. मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012

(2.3) विभाग के आयोग एवं कार्यालय

क्र.	आयोग एवं कार्यालय	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	राजभवन सचिवालय	डॉ. एम. मोहन राव	राज्यपाल के प्रमुख सचिव
		श्री शैलेन्द्र कियावत	अपर सचिव
2	लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त कार्यालय भोपाल	श्री एन.के.गुप्ता	लोकायुक्त
		श्री यू.सी.माहेश्वरी	उप लोकायुक्त
		श्री संजीव कुमार झा	सचिव
3	मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग	श्री मनोहर ममतानी	कार्यवाहक अध्यक्ष
		श्री सरबजीत सिंह	सदस्य
		श्री के.के.खरे	सचिव
4	मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग	श्री आर. परशुराम	राज्य चुनाव आयुक्त
		श्रीमती सुनीता त्रिपाठी	सचिव
5	मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग	श्री करीम दाद खान	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
		श्री आत्मदीप	राज्य सूचना आयुक्त
		श्री सुखराज सिंह	राज्य सूचना आयुक्त
		श्री हीरालाल त्रिवेदी	राज्य सूचना आयुक्त
		श्री सुहैल अख्तर	सचिव
6	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग	श्री भास्कर चौबे	कार्यवाहक अध्यक्ष
		श्रीमती सीमा शर्मा	सदस्य
		डॉ. राजेश लाल मेहरा	सदस्य
		श्री पवन कुमार शर्मा	सचिव
7	आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल	श्रीमती कंचन जैन	महानिदेशक
		श्री मनीष रस्तोगी	संचालक

क्र.	आयोग एवं कार्यालय	अधिकारी का नाम	पदनाम
8	विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त कार्यालय भोपाल)	श्री अनिल कुमार	महानिदेशक
9	आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल	डॉ. विजय यादव	महानिदेशक
10	विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय, भोपाल	श्री सतीश चन्द्र मिश्र	विभागीय जांच आयुक्त
11	मध्यप्रदेश भवन, नई-दिल्ली	श्री आई. सी. पी. केशरी श्री आशीष श्रीवास्तव	विशेष आयुक्त आवासीय आयुक्त
12	मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन, भोपाल	श्री आर. के. मेहरा	मुख्य तकनीकी परीक्षक
13	राज्य सत्कार कार्यालय	श्री संजय कुमार	राज्य शिष्टाचार अधिकारी

(2.4) <u>विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के नाम</u>

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा
2. राज्य प्रशासनिक सेवा
3. मध्यप्रदेश मंत्रालयीन सेवा
4. राजभवन, लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त, मुख्य तकनीकी परीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, प्रशासन अकादमी और राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश सूचना आयोग के कार्यालयों से संबंधित सेवा विषय

3. विभाग के महत्वपूर्ण विषय

3.1 मंत्रि - परिषद

(1) प्रदेश मंत्रि-परिषद में 32 सदस्य हैं। इनमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 20 मंत्री एवं 11 राज्य मंत्री हैं।

(2) वर्ष 2017 में विभिन्न विभागों की 05 मंत्रि-परिषद् समितियां गठित/पुर्नगठित की गई।

3.2 मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम एवं मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम

राज्य शासन के कार्य के सुविधाजनक संपादन हेतु संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) के तहत निम्नलिखित नियम बनाये गए हैं:-

(1) मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम

(2) मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम

मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम एवं मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम पुस्तिकाओं को अद्यतन किया जाकर दिनांक 30.11.2013 की स्थिति में प्रकाशित कराया गया।

राज्य शासन का कार्य, कार्य आवंटन नियमों के तहत 67 विभागों में विभक्त था। तात्कालिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 13 विभागों को विलोपित किया गया है, साथ ही 09 विभागों का नाम परिवर्तित भी किया गया है। अतः वर्तमान में 54 विभाग क्रियाशील हैं। विभागों की सूची **परिशिष्ट - दो** पर है।

3.3 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ जबलपुर में एवं खण्डपीठें इन्दौर तथा ग्वालियर में स्थित हैं।

3.4 आर्डर ऑफ प्रेसिडेन्स

विभिन्न शासकीय आयोजनों हेतु पूर्वता अधिपत्र **आर्डर ऑफ प्रेसिडेन्स** का निर्धारण संबंधी अधिसूचना दिनांक 23/12/2011 को जारी की गई।

3.5 मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा

वर्ष 2017 से दिनांक 15/02/2018 तक निगम/ मण्डल/ आयोगों/ प्राधिकरणों/ समितियों आदि में 08 अध्यक्षों को केबिनेट मंत्री/मंत्रि स्तर तथा 23 अध्यक्षों/उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है।

3.6 मंत्रीगण का स्वेच्छानुदान

मंत्रि-परिषद के सदस्यों द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले स्वेच्छानुदान की वार्षिक सीमा निम्नानुसार निर्धारित है:-

मुख्यमंत्री	-	रु. दो करोड़
मंत्री	-	रु. पचास लाख**
राज्य मंत्री	-	रु. पेंतीस लाख**

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद में रू 140.00 करोड़ का प्रावधान है।

उपरोक्त वार्षिक सीमा के अध्यधीन नियम के अंतर्गत किसी एक प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अधिकतम रुपये दो लाख, माननीय मंत्री द्वारा रुपये बीस हजार एवं माननीय राज्यमंत्री द्वारा रुपये सोलह हजार की राशि स्वीकृत की जा सकती है।

* मंत्रीगण के जनसम्पर्क दौरे के लिये प्रति विधान सभा क्षेत्र में रुपये दो लाख पचहत्तर हजार के मान से राशि प्रावधानित की गई है जिसमें से जिलों के प्रभारी मंत्री द्वारा दिये गए अनुमोदन के आधार पर जिलाध्यक्ष स्वीकृति जारी करते हैं। इस मद से राशि के व्यय हेतु योजनाओं का चयन प्रभारी मंत्री आवश्यकता एवं औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वविवेक से करते हैं। इस मद के तहत विधान सभा क्षेत्र के लिये आवंटित होने वाली रुपये दो लाख पचहत्तर हजार की राशि में से रुपये पचहत्तर हजार की राशि ऐसे कार्यों के लिए सुरक्षित रहती है, जिसकी अनुशंसा माननीय लोक सभा सांसद द्वारा की जाती है।

* (सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 8-3/2004/एक(1) दिनांक 10/06/2006 एवं 21/02/2011 द्वारा संशोधित)

** (सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 8-3/2014/एक(1) दिनांक 23/04/2016 द्वारा संशोधित)

माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद वित्तीय वर्ष 2017 - 2018 में आवंटित एवं व्यय राशि का विवरण

वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि	15 फरवरी, 2018 तक व्यय राशि	कुल आदेश
2017-18	₹140,00,00,000	₹1,19,52,14,643	3617

माननीय मंत्रीगणों के स्वेच्छानुदान मद से राशि वितरित करने के संबंध में कलेक्टरों को विस्तृत निर्देश जारी किये गए हैं। संबंधित कलेक्टर द्वारा पूर्व में ई-पेमेंट के माध्यम से संबंधित हितग्राही/संस्थाओं को राशि का भुगतान किया जाता था। अब चैक के माध्यम से भुगतान के निर्देश जारी किये गए हैं।

3.7 पारितोषिक एवं अलंकरण

(1) अशोक चक्र श्रृंखला पुरस्कार

सैनिक तथा असैनिक व्यक्तियों द्वारा अदम्य साहस एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिये भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना, नौ सेना, वायु सेना मेडल, मेन्शन इन डिस्पेचेज, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल (विशिष्ट सेवा) एवं विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किये जाते हैं। उक्त शौर्य से सम्मानित सैनिक/असैनिक व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं, को राज्य शासन की ओर से नगद अनुदान एवं भूमि के एवज में नगद अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

वर्ष 2017-18 में 09 शौर्य अलंकरण प्राप्तकर्ताओं को राशि ₹4,27,000/- का अनुदान भुगतान किया गया है।

(2) राज्य स्तरीय वीरतापूर्ण कार्य पुरस्कार

प्राकृतिक संकट में ग्रस्त व्यक्तियों, कुख्यात डाकुओं, असामाजिक तत्वों द्वारा घटित घटना, असामाजिक उपद्रवों तथा किसी प्रकार की दुर्घटना आदि के समय व्यक्ति/व्यक्तियों /जनसमूह के प्राणों की रक्षा करने में वीरता तथा साहस का परिचय देने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को शासन की ओर से नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र दिये जाते हैं। दिये जाने वाले पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. सर्वोत्तम वीरतापूर्ण कार्य	₹25,000/-
2. उत्तम वीरतापूर्ण कार्य	₹15,000/-
3. वीरतापूर्ण कार्य	₹10,000/-

(3) राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप शौर्य राज्य पुरस्कार

विभाग द्वारा प्रदेश के स्थाई निवासी को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर वीरतापूर्ण कार्यों के लिये महाराणा प्रताप शौर्य वीरता पुरस्कार के अंतर्गत रुपये एक लाख केवल का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

(4) संत महापुरुषों के नाम पर पुरस्कार

प्रदेश सरकार ने युवाओं में धर्म निरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बढाने, पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं बच्चों के विकास, सामाजिक चेतना, ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय एकता एवं मानवता की सेवा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 18 से 35 वर्ष की आयु वाले युवाओं के लिये संत महापुरुषों के नाम पर ₹50,000 - 50,000/- एवं प्रशंसा-पत्र के पांच पुरस्कार निम्नानुसार स्थापित किये गए हैं:-

1. कबीर राज्य सम्मान पुरस्कार

2. शंकराचार्य राज्य सम्मान पुरस्कार
3. गुरुनानक राज्य सम्मान पुरस्कार
4. गौतम बुद्ध राज्य सम्मान पुरस्कार
5. रहीम राज्य सम्मान पुरस्कार

(5) इंदिरा गांधी साम्प्रदायिक सौहार्द पुरस्कार

राज्य शासन ने अशासकीय संस्था तथा कार्यकर्ता (अशासकीय व्यक्तियों) के द्वारा अल्पसंख्यकों की भलाई के लिये निर्धारित 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन साम्प्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में श्रेयस्कर कार्य किया हो साथ ही शासकीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों के द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिये पांच पुरस्कार ₹25,000 - 25,000/- एवं प्रशंसा-पत्र के साथ राज्य स्तरीय पुरस्कार दिये जाते हैं।

वर्ष 2017-18 में साम्प्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए चयनित 03 शासकीय सेवकों को राशि ₹45,000/- का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

(6) भैया श्री मिश्रीलाल गंगवाल सद्भावना पुरस्कार

राज्य शासन ने प्रदेश के विभिन्न धर्मों/ सम्प्रदायों/ समाजों में व्याप्त कुरीतियों/ कटुता/ वैमनस्य को दूर कर सामाजिक सद्भावना स्थापित करने की दिशा में श्रेष्ठ कार्य करने वाली पंजीकृत संस्था को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से ₹1.00 लाख का भैया श्री मिश्रीलाल गंगवाल सद्भावना पुरस्कार स्थापित किया है। यदि पुरस्कार के लिए एक से अधिक संस्थाऐं पात्र होगीं तो पुरस्कार राशि, उनमें बराबर-बराबर वितरित की जावेगी।

वर्ष 2017-18 में सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में किए गए श्रेष्ठ कार्य के लिए चयनित 02 संस्थाओं को राशि ₹50,000 - ₹50,000/- कुल राशि ₹1,00,000/- का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

(7) मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को पहल, नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार निम्नानुसार दिये जाते हैं:-

1. <u>राज्य स्तरीय पुरस्कार</u>

(अ) **व्यक्तिगत**

प्रथम पुरस्कार	रुपये एक लाख एवं प्रशंसा-पत्र
द्वितीय पुरस्कार	रुपये पचहत्तर हजार एवं प्रशंसा-पत्र
तृतीय पुरस्कार	रुपये पचास हजार एवं प्रशंसा-पत्र

(ब)	अधिकारियों/कर्मचारियों के समूह (टीम) हेतु पुरस्कार	रुपये तीन लाख एवं प्रशंसा-पत्र
(स)	शासकीय कार्यालय/ संस्था हेतु पुरस्कार	रुपये पांच लाख एवं प्रशंसा-पत्र

2. जिला स्तरीय व्यक्तिगत पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार	रुपये पच्चीस हजार एवं प्रशंसा-पत्र
द्वितीय पुरस्कार	रुपये पन्द्रह हजार एवं प्रशंसा-पत्र
तृतीय पुरस्कार	रुपये दस हजार एवं प्रशंसा-पत्र

वर्ष 2017-18 में नवाचार योजनाओं/परियोजनाओं, प्रक्रियाओं में आमूल-चूल व्यवस्थित बदलाव, जनता की सेवाऐं प्रदान करने, आकस्मिक परिस्थितियों, उत्कृष्ट सेवा के मापदण्ड स्थापित करने के लिए चयनित 22 शासकीय सेवकों को ₹5,50,000/- का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

(8) सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार

संकल्प 2010 के बिन्दु क्रमांक 68 पर कार्यवाही के तहत शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं शासकीय कार्यों में हर स्तर पर गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें पुरस्कृत करने के लिए संबंधित विभागों में ''सुशील चन्द्र वर्मा उत्कृष्ट पुरस्कार योजना'' लागू की गई है।

वर्ष 2017-18 में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित 26 शासकीय सेवकों को राशि ₹8,00,000/- का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

(9) स्वर्गीय देवी प्रसाद शर्मा पुरस्कार

स्वर्गीय देवी प्रसाद शर्मा की स्मृति में प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके उत्तम कार्य के लिए पुरस्कृत करने के उद्देश्य से ''स्वर्गीय देवी प्रसाद शर्मा पुरस्कार'' स्थापित किया गया है। उक्त पुरस्कार के अंतर्गत ₹1,00,000/- का पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2017-18 में उत्तम कार्य के लिए चयनित 01 शासकीय सेवक को राशि ₹1,00,000/- का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

(10) प्रादेशिक सैनिकों को पुरस्कार

प्रदेश के प्रादेशिक सेना अलंकरण एवं प्रादेशिक सेना मेडल से सम्मानित सैनिकों को पुरस्कृत होने पर राज्य शासन की ओर से क्रमशः ₹5,000/- एवं ₹3,000/- नगद पुरस्कार स्वीकृत किये जाते हैं।

3.8 प्रादेशिक सेना दिवस हेतु अनुदान

प्रादेशिक सेना सागर/महू को प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाये जाने वाले प्रादेशिक सेना दिवस के आयोजन हेतु इस विभाग द्वारा नगद अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

3.9 अन्तर्विभागीय समिति

अन्तर्विभागीय समिति के गठन के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दिनांक 01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक 49 अन्तर्विभागीय समितियों के गठन के आदेश जारी किये गए हैं।

3.10 सड़क दुर्घटना में घायलों को आर्थिक सहायता अनुदान

विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवारजनों तथा घायलों को जिलाध्यक्ष के माध्यम से आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। मृतकों के परिवार को अधिकतम ₹15,000/- एवं गंभीर घायलों को ₹7,500/- की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।

सहायता हेतु ग्लोबल बजट घोषित किया जा चुका है। कलेक्टर स्वयं राशि आहरित कर रहे हैं।

3.11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान निधि नियम, 1972 की कंडिका-2 के अंतर्गत जिन्होंने आजादी की लड़ाई में वर्ष 1919 से 1946 तक की अवधि के दौरान भाग लिया है, ऐसे व्यक्तियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया जाता है एवं नियम 3 की पूर्ति करने वालों को सम्मान निधि भी स्वीकृत की जाती है। साथ ही राज्य शासन को प्राप्त केन्द्रीय सम्मान निधि के प्रस्तावों का परीक्षण कर केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाता है एवं आजादी की लड़ाई वर्ष 1919 से 1946 के बाद के भी कतिपय आंदोलनों यथा भूतपूर्व भोपाल राज्य सन् 1949 मे हुए गोलीकांड, गोवा मुक्ति आंदोलन, 15 अगस्त, 1955 में भाग लेने वालों को भी सम्मान निधि स्वीकृति का प्रावधान है। प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं -

1. राज्य शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वर्तमान में ₹25,000/- दिनांक 12/04/2016 से राज्य सम्मान निधि की गई है।
2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सम्मान निधि के प्रकरण भी राज्य शासन द्वारा अनुशंसा सहित, भारत सरकार, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं।
3. राज्य सम्मान निधि प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का स्वर्गवास होने पर उनकी अन्त्येष्टि आदि के लिये ₹4,000/- की आर्थिक सहायता राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाती है।

4. राज्य सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा निम्नांकित सुविधायें राज्य सम्मान निधि तथा केन्द्रीय सम्मान निधि पाने वाले सेनानियों को दिए जाने के निर्देश है:-

- मृत सेनानी के परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में प्राथमिकता
- सेनानी के पुत्र- पुत्रियों के लिए कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश।
- प्रदेश के सेनानियों के लिए शासकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा सहायता एवं उपचार।
- सेनानी के पुत्र-पुत्रियों को मेडिकल कालेज में स्थान आरक्षण की सुविधा।
- सेनानी के पौत्र एवं पौत्रियों के लिए इंजिनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आरक्षण।
- सेनानी के पुत्र एवं पौत्रों के लिए शासकीय महाविद्यालयों में समस्त पॉलीटेकनिक तथा उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालयों एवं कला निकेतन, जबलपुर की उच्चतर माध्यमिक तकनीकी पाठ्यक्रम एवं प्रिंटिंग टेक्नालॉजी पत्रोपाधि में प्रवेश हेतु आरक्षण।
- सेनानियों की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के समय सम्मान देने हेतु शासन का प्रतिनिधित्व।
- मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा विकसित भू-खण्डों एवं निर्मित भवनों का आवंटन आरक्षण।
- मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक चिकित्सा सहायता अनुदान नियम, 1986 में दिनांक 27/11/2017 को किये गए संशोधन अनुसार ₹50,000/- तक चिकित्सा सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने के लिये संबंधित जिला कलेक्टर अधिकृत होंगे, ₹50,000/- से अधिक एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न गंभीर रोगों के उपचार हेतु निर्धारित शासकीय दरों की सीमा तक राशि के चिकित्सा अनुदान के प्रकरणों के स्वीकृति के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त को होंगे।
- राज्य सेनानियों को नि:शुल्क डेंचर, चश्मा तथा श्रवण यंत्र दिये जाने की सुविधा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान निधि, चिकित्सा सुविधा आदि के लिए वर्ष 2017-2018 में ₹30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया।

मध्यप्रदेश स्वतंत्रा संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972 तथा दिसम्बर, 2011 तक संशोधित नियमों तथा संबंधित आदेशों/निर्देशों का संकलन कर प्रकाशन जनवरी, 2015 में किया गया।

3.12 मीसा/डीआईआर में निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान निधि

(1) लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से एक माह से कम कालावधि के लिये निरूद्ध रहे हों, उन्हें ₹8,000/- प्रतिमाह तथा ऐसे व्यक्ति जो एक माह या एक माह से अधिक की कालावधि के लिये निरूद्ध रहे हों, उन्हें ₹25,000/- प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि की पात्रता होगी।

(2) अधिसूचना दिनांक 04/01/2012 द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम-2008 में नियम-4 में संशोधन किया गया है।

(3) मीसा/डी.आई.आर. में निरूद्ध रहे व्यक्तियों को सम्मान निधि/चिकित्सा सुविधा आदि के लिये वर्ष 2017-18 के लिये कुल राशि ₹78.12 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(4) मीसा/डी.आई.आर. में निरूद्ध व्यक्ति लोकतंत्र सेनानी कहलायेंगे। यह संशोधन दिनांक 12/04/2016 से मीसा/डी.आई.आर. सम्मान निधि नियम, 2008 में किया गया है।

(5) दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की पत्नी/पति को सम्मान निधि का अंतरण एक माह में हो जाये, इस हेतु परिपत्र दिनांक 03/07/2017 को समस्त कलेक्टरों को जारी किया गया है।

(6) लोकतंत्र सेनानी, जो जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नहीं लेना चाहते हैं, को भी सभी शासकीय कार्यालयों में उचित सम्मान दिया जाकर उन्हें स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस/मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एवं अन्य राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर आमंत्रित किया जाकर उन्हें उचित सम्मान दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु परिपत्र समस्त कलेक्टरों को दिनांक 07/07/2017 को जारी किया गया है।

3.13 कार्मिक नीति

(1) राज्य शासन के विभिन्न विभागों में गैर कार्यपालिक तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति में साक्षात्कार के प्रावधान की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

(2) शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा

(Computer Proficiency Certification Test - CPCT) में अंग्रेजी टायपिंग की न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनिट एवं हिन्दी टायपिंग की गति 20 शब्द प्रति मिनिट निर्धारण के निर्देश दिनांक 21 जनवरी, 2017 को जारी किए गए हैं।

(3) शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नी द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी कराने के फलस्वरूप एक जीवित संतान के बाद दो अग्रिम वेतनवृद्धि की सुविधा यथावत् रखते हुए दो जीवित संतान के पश्चात नसबंदी कराने पर एक अग्रिम वेतनवृद्धि की सुविधा समाप्त किए जाने के निर्देश दिनांक 09 फरवरी, 2017 को जारी किए गए हैं।

(4) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के प्रकाश में समरूप लाभ लेने बाबत अभ्यावेदन का निराकरण समय-सीमा में किए जाने के निर्देश दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को जारी किए गए हैं।

(5) कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए ''स्थायी कर्मियों'' को विनियमित करने की योजना के तहत अधिवार्षिकी आयु का निर्धारण पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, अवकाश आदि के निर्देश दिनांक 03 मई, 2017 को जारी किए गए हैं।

(6) प्रदेश के बेरोजगार उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने हेतु खुली प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पद (राजपत्रित/अराजपत्रित/कार्यपालिक) के लिए 12 से 17 वर्ष एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के युवकों को 15 से 20 वर्ष की छूट दी गई है। मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनारक्षित पुरूष की अधिकतम आयू सीमा छूट 40 वर्ष एवं अन्य के लिए 45 वर्ष नियत है। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य किया गया है। उपरोक्त निर्देश दिनांक 12 मई, 2017 को जारी किए गए हैं।

(7) कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) हेतु न्यूनतम योग्यता हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वीं के बाद पॉलिटेकनिक डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किए जाने के निर्देश दिनांक 29 जून, 2017 को जारी किए गए हैं।

(8) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के सेवायुक्तों के लिए जारी संविलियन योजना में दिनांक 11/08/2017 से छः माह (दिनांक 10/02/2018 तक) की समायावृद्धि की जाने के निर्देश दिनांक 09 अगस्त, 2017 को जारी किए गए हैं।

(9) मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2017 दिनांक 28 सितम्बर, 2017 को जारी किया गया है।

(10) लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवा क्रमांक 6.1 - कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र 07 दिवस में प्रदाय करने के निर्देश थे। उक्त प्रक्रिया को संशोधित कर समाधान 01 दिवस में प्रदाय के निर्देश दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को जारी किए गए हैं।

(11) लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवा क्रमांक 6.2 - कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र 03 दिवस में प्रदाय करने के निर्देश थे। उक्त प्रक्रिया को संशोधित कर समाधान 01 दिवस में प्रदाय के निर्देश दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को जारी किए गए हैं।

लोक सेवा गारंटी

जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी विषय लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत शामिल करते हुए इसकी प्रक्रिया ऑनलाईन कर डिजिटल हस्ताक्षर से जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों के छात्र-छात्राओं को स्कूलों के माध्यम से ही आवेदन पत्र लेकर डिजिटाईल लेमिनेटेड जाति प्रमाण पत्र स्कूलों में ही वितरित करने के संबंध में एक विशेष अभियान दिनांक 01 जुलाई, 2014 से प्रारंभ किया गया है। उक्त अभियान की तिथि बढ़ाकर 30 जून, 2018 निर्धारित की गई है। दिनांक 15 फरवरी, 2018 तक 01 करोड़ 26 लाख 68 हजार 619 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 01 करोड़ 26 लाख 09 हजार 325 आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया है।

दिनांक 01/01/2017 से 31/12/2017 तक की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवा क्रमांक 6.1 - कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में कुल 10,41,521 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 10,18,203 आवेदन-पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। सेवा क्रमांक 6.2 - कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में कुल 14,09,567 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 13,86,467 आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है। इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग की सेवा क्रमांक 6.4 ''राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय एवं ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि का प्रदाय'' के संबंध में कुल 167 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। कुल 94 आवेदन पत्रों को निराकृत किया गया।

3.14 आरक्षण

(1) आरक्षण प्रकोष्ठ के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, निशक्तजनों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों के लिये लोक सेवाओं एवं पदों में आरक्षण का निर्धारण, उनके क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी नीति के निर्धारण का कार्य सम्पादित किया जाता है।

(2) राज्य की लोक सेवा एवं पदों में अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिये 20 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा सीधी भरती के प्रक्रम में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत (वन विभाग को छोड़कर) (हॉरिजेण्टल एवं कम्पार्टमेन्ट), निःशक्तजनों के लिये द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिये 06 प्रतिशत (हॉरिजेण्टल) एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये तृतीय श्रेणी में 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी के लिये 20 प्रतिशत हॉरिजेण्टल आरक्षण का प्रावधान है।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के बैकलॉग/कैरीफारवर्ड पदों व निःशक्तजनों के आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गत वर्ष अनूसूचित जाति के 5711, अनुसूचित जनजाति के 1614 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 933 कुल 8258 पदों तथा निःशक्तजनों के 82 पदों की पूर्ति होना प्रतिवेदित हुआ है। अभियान निरंतर जारी है।

(4) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि ''यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोक नगर की सहारिया आदिम जनजाति, जिला मंडला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखंड की भारिया जनजाति का है, को संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिए या वनरक्षक (कार्यपालक) के लिए आवेदन करता है और उस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अहर्ता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा''।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गृह विभाग में आरक्षक एवं राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर उक्त जनजाति के अभ्यार्थियों को उक्त प्रावधान के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 16/01/2018 द्वारा उक्त जनजातियों में सहारिया के बाद सहरिया जनजाति को भी सम्मिलित किया गया है।

3.15 <u>लेखा शाखा</u>

मंत्रालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं शासकीय भुगतानों पर गणना/आयकर/कटोत्रा एवं विभाग का त्रैमासिक व वार्षिक ईटीडीएस रिटर्न व फार्म-16 समय-सीमा में प्रेषित किया गया।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) के अन्तर्गत समस्त शासकीय सेवकों के यूनिक एम्पलाई कोड बनाकर वेतन, भत्ते आदि का ई-भुगतान किया जा रहा है। इसी तरह मंत्रालय में कार्यरत अशासकीय व्यक्तियों एवं सामग्री प्रदायकर्ताओं को वेन्डर कोड द्वारा ई-भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। इस तरह मंत्रालय में लगभग कैशलेस व्यवस्था लागू है।

3.16 कर्मचारी कल्याण

(1) शासकीय सेवकों की समस्याओं का आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से समाधान करने के लिये शासन द्वारा राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री/विभागीय/विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति गठित की गई है, इन समितियों की बैठक वर्ष में दो बार करने के निर्देश जारी किये हैं।

(2) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण संगठन) के आदेश क्रमांक एफ 05-09/2015/1/15/क.क. दिनांक 07/05/2016 के द्वारा ''मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ'' की मांगों एवं वेतन विसंगतियों के संबंध में विचार करने हेतु श्री रमेश चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं का अध्ययन/परीक्षण एवं अनुशंसा करने हेतु प्रमुख सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा दिनांक 24, जनवरी, 2018 एवं 09 फरवरी, 2018 को संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। समिति द्वारा श्री शर्मा के प्रतिवेदन एवं पदाधिकारियों द्वारा रखे गए पक्ष का अध्ययन किया जा रहा है।

3.17 कार्य नीति

स्थानान्तरण नीति

प्रतिवर्ष शासन द्वारा राज्य स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानान्तरित किये जाने हेतु नीति जारी की जाती है। वर्ष 2017-18 के लिए दिनांक 19/05/2017 को नीति जारी की गई थी, जो वर्तमान में प्रचलित है। वर्ष 2017-18 के लिए स्थानान्तरण करने हेतु दिनांक 01 जून, 2017 से 30 जून, 2017 तक की अवधि के लिए प्रतिबंध शिथिल किया गया था। परिपत्र दिनांक 13 जुलाई, 2017 द्वारा प्रतिबंध अवधि से छूट की अवधि को दिनांक 16 जुलाई, 2017 तक बढ़ाया गया था।

दिनांक 08 अक्टूबर, 2017 को माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन के द्वारा आकाशवाणी में प्रसारित ''दिल से'' कार्यक्रम में की गई घोषणा क्रमांक बी-4116 ''शासकीय सेवा में पति-पत्नी को यथासंभव एक स्थान पर पदस्थ किया जाएगा'' के क्रियान्वयन हेतु स्थानान्तरण नीति वर्ष 2017-18 की कंडिका-8.11 में माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा के

अनुरूप पूर्व से ही प्रावधान हैं। उक्त कंडिका का पालन सुनिश्चित करने हेतु परिपत्र दिनांक 16 जनवरी, 2018 के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।

स्थानान्तरण प्रकोष्ठ

रिट पिटीशन क्रमांक 5260/2004 डॉ. जगतसिंह परिहार विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में मान. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के पालन में ''स्थानान्तरण नीति'' के विरुद्ध किए गए स्थानान्तरणों से संबंधित अभ्यावेदनों के निराकरण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत स्थानांतरण प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार स्थानांतरण के विरूद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण सामान्य प्रशासन विभाग एवं प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जाता है।

शासन द्वारा जारी ''स्थानांतरण नीति 2017-18'' के विरुद्ध स्थानांतरण प्रकोष्ठ (सामान्य प्रशासन विभाग) में विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से 23/01/2018 तक 35 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 02 अभ्यावेदनों का निराकरण किया जा चुका है एवं 33 अभ्यावेदनों पर कार्यवाही प्रचलित है।

गोपनीय प्रतिवेदन

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के संबंध में चैनल निर्धारित करने की कार्यवाही की जाती है एवं प्रतिवेदन लिखने के संबंध में नियमानुकूल मार्गदर्शन दिया जाता है। विभाग द्वारा प्रथम श्रेणी अधिकारियों को गोपनीय प्रतिवेदन प्रकटन किये जाने के संबंध में निर्देश परिपत्र क्रमांक एफ 05-02/2009/1/9 दिनांक 23 जुलाई, 2014 द्वारा जारी किये गए हैं। साथ ही द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों को भी उनके मांग किए जाने पर गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश परिपत्र क्रमांक एफ 05-02/2011/1/9 दिनांक 05 जुलाई, 2016 द्वारा जारी किये गए हैं।

विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 05-01/2016/1/9 दिनांक 23 फरवरी, 2016 द्वारा सभी शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन लिखे जाने की व्यवस्था के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 05-05/2017/1/9 दिनांक 05 अगस्त, 2017 द्वारा मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों के वर्ष 2017-18 से लिखे जाने वाले गोपनीय प्रतिवेदनों के मतांकन की समय-सीमा में संशोधन करते हुए अंतिम तिथि 30 जून के स्थान पर कैलेण्डर वर्ष की अंतिम तिथि अर्थात् 31 दिसम्बर की गई है।

3.18 निरीक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 06/09/2004 द्वारा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त एवं समस्त कलेक्टर को निरीक्षण करने हेतु निर्देश जारी किए गए।

संभागीय आयुक्त मुख्यालय से बाहर कम से कम 5 रात्रि तथा जिला कलेक्टर 3 रात्रि विश्राम करेंगे। आयुक्त अपने अधिनस्थ प्रत्येक जिला कार्यालय का वर्ष में एक बार तथा कलेक्टर अपने अधिनस्थ तहसील कार्यालयों का वर्ष में एक बार निरीक्षण करेंगे। विभागाध्यक्षों द्वारा प्रतिमाह कम से कम 5 दिवस अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश हैं।

राजस्व मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा कमिश्नर, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसील न्यायालयों के निरीक्षण करने के निर्देश जारी किये गए हैं।

3.19 प्रशासनिक सुधार

(1) ''मंथन-2014'' समूह द्वारा की गई अनुशंसाओं पर कार्यवाही

''मंथन-2014'' के अंतर्गत शासन की प्राथमिकताओं एवं कार्यक्रमों पर समग्र रूप से विचार-विमर्श एवं चिंतन हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 27 एवं 28 सितम्बर, 2014 को प्रशासन अकादमी, भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें ''मंथन-2014'' में विचार-विमर्श हेतु 07 विषय समूह बनाए गए थे।

''मंथन'' शासन के शीर्षस्तर के नीति निर्धारक एवं मैदानी अधिकारियों के बीच समग्र रूप से संवाद और विचार-विमर्श और उस पर चिंतन करने का माध्यम है ताकि शीर्षस्तर पर कार्यक्रम एवं नीति निर्धारण के समय मैदानी हकीकत को भी नीतियों/योजनाओं के निर्धारण में ध्यान में रखा जा सके। ''मंथन 2014'' की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया। ''मंथन 2014'' की वेबसाईट पर सभी विभागों की अनुशंसाओं को अपलोड किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभाग से संबंधित 55 अनुशंसाऐं एवं समस्त विभागों से संबंधित 12 अनुशंसाएं, कुल 67 अनुशंसाओं में से 61 अनुशंसाओं पर पूर्ण/पूर्ण सतत् की कार्यवाही करते हुए वेबसाईट पर अपलोड किया गया है।

(2) सुराज मिशन

लोक कल्याण शिविरों का आयोजन प्रत्येक विकासखंड में माह में एक बार निश्चित दिन पर किये जाने के निर्देश दिये गए हैं।

(3) अधिकारियों द्वारा मासिक डायरी का संधारण

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्षों/संभागायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षकों को निर्धारित प्रारूप में मासिक डायरी का संधारण ऑनलाइन द्वारा किये जाने के निर्देश जारी किये गए हैं। मासिक डायरी में अधिकारियों द्वारा माह में अपने प्रभार के विभाग में जो भी प्रमुख निर्णय लिये गए हों अथवा प्रमुख कार्य किये गए हैं उनका विभागवार उल्लेख किये जाने के निर्देश हैं।

(4) जन सुनवाई

आम नागरिकों की समस्याओं को प्रशासन तंत्र के विभिन्न आयामों में पदस्थ अधिकारियों के सीधे बिना बाधा सहज रूप से सुनने एवं उनके निराकरण के उद्देश्य से विभागीय पत्र क्रमांक एफ 11-29/2009/1/9 दिनांक 13 जुलाई, 2015 में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 30 जून, 2009 का संदर्भ देते हुए मुख्य सचिव महोदय द्वारा समस्त विभागों/विभागाध्यक्ष/संभागायुक्त/ कलेक्टर्स को पुनः निर्देशित किया गया है कि ''विभागाध्यक्ष से लेकर विकासखण्ड स्तर तक के प्रत्येक कार्यालय में कार्यालय प्रमुख प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 11:00 बजे से 01:00 बजे तक जन सुनवाई करेंगे''। कतिपय जिलों में जिलों के कलेक्टर द्वारा स्थानीय व्यवस्था में जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय पर जिला कार्यालय (कलेक्टोरेट) में जन सुनवाई की व्यवस्था प्रचलित है।

विभागीय पत्र क्रमांक एफ 11-29/2009/1/9 दिनांक 17 अगस्त, 2009 द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का जन सुनवाई कार्यक्रम, मंगल दिवस एवं टीकाकरण की कार्यवाही के कारण, मंगलवार की जगह बुधवार को आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय पत्र क्रमांक एफ 11-29/2009/1/9 दिनांक 17 अगस्त, 2016 द्वारा समस्त संभागायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने संभाग के जिलों में एक वर्ष से अधिक जन सुनवाई के लंबित प्रकरणों पर संबंधित विभाग प्रमुख से चर्चा कर (न्यायालयीन प्रकरणों को छोड़कर) निराकरण योग्य प्रकरणों को तीन माह में निराकरण कराकर आवेदक को अवगत करावें एवं अद्यतन जानकारी से इस विभाग को भी अवगत करावें।

(5) परख

आम नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने, राज्य शासन की प्रमुख योजनाओं की मॉनिटरिंग हेतु ''परख'' कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक माह के तृतीय गुरूवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग का आयोजन किया जाता है।

(6) सुशासन

(क) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) द्वारा अधिकारियों की परफारमेंस का ऑनलाईन मूल्यांकन प्रणाली के कार्यान्यवन के अंतर्गत ऑन लाईन गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जा रहे हैं।

(ख) विभागीय परिपत्र दिनांक 25/09/2014 द्वारा स्वअभिप्रमाणित घोषणा पत्र के आधार पर सेवाओं को प्रदान करने संबंधी निर्देश जारी किये गए। इसी प्रकार विभागीय परिपत्र दिनांक 13/01/2014 द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 9 में शिक्षा प्रारंभ करने के प्रथम वर्ष में जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रावधान किया गया।

(ग) प्रशासन अकादमी द्वारा सचिवालय एवं संचालनालय के कर्मचारियों के लिये समग्र क्षमता संवर्धन विषयक 27 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 537 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। जिला स्तर पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु 51 जिलों में 111 मास्टर ट्रेनर्स विकसित किये गए। दिनांक 24/01/2017 द्वारा शासकीय प्रक्रिया एवं मैन्यूअल का प्रशिक्षण कार्यक्रम मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से आयोजित करने के निर्देश समस्त कलेक्टरों को दिये गए हैं।

(घ) संवेदनशील एवं पारदर्शी प्रशासन के लिये संभाग एवं जिले के आंतरिक क्षेत्रों में विभागाध्यक्ष, आयुक्त एवं कलेक्टर द्वारा दौरा कर रात्रि विश्राम कर मौके पर ही समस्याओं के निराकरण कराने एवं केन्द्रीय व जिला जेलों के निरीक्षण सहित कानून एवं व्यवस्था संबंधी संस्थानों के भी निरीक्षण किये जाने के निर्देश विभागीय परिपत्र दिनांक 16/11/2016 जारी किये गए।

(ङ) जेण्डर समानता के प्रति संवेदनशीलता के बिन्दु को प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक के शासकीय सेवक के गोपनीय प्रतिवेदन में लिखने के निर्देश दिनांक 14/07/2015 द्वारा समस्त विभागों को दिये गए।

(च) समस्त शासकीय कार्य, पत्र व्यवहार अनिवार्यतः राजभाषा हिन्दी में ही किये जाने एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को अंग्रेजी नहीं आने के आधार पर किसी प्रकार की शास्ति अधिरोपित नहीं किये जाने तथा राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी में रखने के निर्देश दिनांक 11/01/2016 द्वारा जारी किये गए।

(छः) विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मौके पर आंकलन, शासकीय कार्यक्रमों और नीतियों के संबंध में नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करने, प्रदेशवासियों से सीधे संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा फरवरी, 2016 में जन कल्याण यात्रा, 2016 का आरंभ किया गया।

(7) ''आओ बनायें अपना मध्यप्रदेश'' सम्मेलनों का आयोजन

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा ''आओ बनायें अपना मध्यप्रदेश'' सम्मेलन की सुलभ एवं सुदृढ़ व्यवस्थाओं में और सुधार करने के लिये निर्देश जारी किये गए हैं जिसमें आमंत्रित अतिथियों/नागरिकों के लिये इसका लाभ प्राप्त होना सुलभ हो।

(8) मंत्रालय में ई-ऑफिस परियोजना का क्रियान्वयन

शासकीय अभिलेखों के डिजिटल करने, कार्यालयों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करने, काम की गति व पारदर्शिता को बढावा देने और कागजरहित स्वच्छ कार्यप्रणाली के उद्देश्य से राज्य मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रणाली पर अमल शुरू भी कर दिया गया है।

3.20 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

राज्य शासन द्वारा सरकार की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढाने तथा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किए गए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/08/2005 द्वारा मध्यप्रदेश सूचना आयोग का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005 बनाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारियों को नामांकित करने हेतु निर्देश जारी किये गए हैं। साथ ही विभाग द्वारा विभागीय जानकारी पर आधारित 17 बिंदुओं का मैन्युअल वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग एवं कार्मिक के लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों को निम्नानुसार आवेदन पत्र प्राप्त हुए:-

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित आवेदनों की संख्या

प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या (सामान्य प्रशासन विभाग) दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017	आवेदन पत्रों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई। दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017	कार्यवाई प्रचलित
1149	1133	16

प्रथम अपील प्रकरणों की संख्या

प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या (सामान्य प्रशासन विभाग) दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017	निराकृत अपील दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017	कार्यवाई प्रचलित
205	203	02

कार्मिक से संबंधित प्राप्त आवेदनों संख्या

कार्मिक से संबंधित आवेदन पत्रों की संख्या दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017	आवेदन पत्रों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017	कार्यवाई प्रचलित
235	152	83

कार्मिक से संबंधित प्रथम अपील प्रकरणों की संख्या

प्राप्त अपीलों की संख्या दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017	पिछले वर्षों के लंबित अपील आवेदन पत्रों सहित निराकृत अपील दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017	कार्यवाई प्रचलित
72	161	20

जनसामान्य के उपयोग के लिए मार्गदर्शिका का द्वितीय संस्करण भी प्रकाशन कराया गया है।

3.21 संसदीय कार्य

वर्ष 2017 में विधान सभा के तीन सत्र आयोजित हुये। बजट सत्र के लिये माननीय राज्यपाल का अभिभाषण तैयार कराया गया तथा सामान्य प्रशासन विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर विधानसभा के पटल पर रखा गया।

3.22 मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन

मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी के राज्य आवंटन संबंधी याचिका एवं अभ्यावेदनों पर विचार हेतु गठित राज्य सलाहकार समिति को उनके पत्र दिनांक 10/03/2017 के द्वारा मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य को उक्त समिति को वाइंडअप करने हेतु दिशा निर्देश तैयार किये जाने का लेख किया गया है। तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

राज्य सलाहकार समिति की 27वीं बैठक के 114 लंबित न्यायालयीन प्रकरणों एवं डिफर्ड प्रकरणों पर संबंधित विभागों को कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए हैं। वर्तमान में 30 अभ्यावेदन एवं 34 न्यायालयीन प्रकरणों पर जानकारी भेजे जाने हेतु समन्वय कर कार्यवाही की जा रही है।

3.23 मध्यप्रदेश मंत्रालय पुस्तकालय तथा अभिलेखागार

मध्यप्रदेश मंत्रालय पुस्तकालय को निम्न दो भागों में विभक्त किया गया है -

(1) **अधिकारी पुस्तकालय** (Officers' Library) :- इसमें हर विषय की पुस्तकें संकलित की गई है।

(2) **संदर्भ पुस्तकालयः-** इसमें अधिनियम (Acts), संहिता (Codes), नियमावली (Manual Gazette & Gazetteer, Census), रिपोर्टस आदि शासकीय एवं अशासकीय कामकाज के प्रकाशन उपलब्ध है जो विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं।

मंत्रालय पुस्तकालय में लगभग 27689 पुस्तकें एक्सेशन रजिस्टर में दर्ज हैं। 1971 के बाद क्रय की गई पुस्तकों का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन किया जाता है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त गजट, रिपोर्ट, सेन्सस, पुराने गजेटियर जैसे इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जजमेन्ट, ए.आई.आर. (A.I.R.), सुप्रीम कोर्ट केसेज, 1997 से अब तक के बजट, समय-समय पर प्रकाशित होने वाले विनियोग लेखे एवं विभागों से आए हुए प्रतिवेदनों का संकलन उपलब्ध है।

(3) **उप पुस्तकालय -**

मंत्रालय में गजट, मध्य प्रदेश 1956 से 1980, भारत गजट 1956-1980, सेन्सस, इन्साक्लोपिडिया तथा प्राचीन पुस्तकों का संकलन उपलब्ध है। समय-समय पर बाहर से आए हुए शोधार्थियों की मांग पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

(4) **मंत्रालय पुस्तकालय के अधिनस्थ अभिलेखागार कक्ष -**

पुस्तकालय एवं अभिलेख शाखा के अन्तर्गत दो अभिलेख कक्ष निम्नानुसार है-

(क) विन्ध्याचल भवन में विभिन्न विभागों द्वारा 5 साल से अधिक पुरानी नस्तियों को सीधे विन्ध्याचल स्थित अभिलेख कक्ष में भेजा जाता है। इस कक्ष की क्षमता दस लाख नस्तियां रखने की है।

(ख) मंत्रालय अभिलेख कक्ष में सेन्ट्रल प्रोविन्सेज के अभिलेख जैसे, महाकौशल स्टेट, विन्ध्य प्रदेश स्टेट, रीवा स्टेट 1918, 1920 से 1956 तक की अवधि के अभिलेख उपलब्ध है। इस अभिलेख कक्ष में शोधार्थियों को शोध की सुविधाएं प्रदान की जाती है। शोधार्थियों से ₹1500.00 सुरक्षा निधि के रूप में लिए जाते हैं।

(5) **मंत्रालय पुस्तकालय का बजट व व्यय -**

पुस्तकालय हेतु आयोजना मद में राशि ₹4,00,000/- (रुपये चार लाख केवल) आवंटित की जाती हैं।

3.24 स्थापना सम्बन्धी कार्य

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा

(क) मध्यप्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनरीक्षण 2016 के लिए भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया, भारत सरकार से इस बारे में जारी अधिसूचना दिनांक 30/12/2016 से भारतीय प्रशासनिक सेवा की कुल प्राधिकृत संख्या 417 के स्थान पर 439 नियत की गई है। इसमें सीधी भरती के 291 के स्थान पर 306 तथा पदोन्नति/चयन द्वारा नियुक्ति के लिए 126 के स्थान पर 133 पद स्वीकृत किए हैं। वर्तमान में सीधी भरती के 249 तथा पदोन्नति/चयन द्वारा नियुक्त 115 अधिकारी इस प्रकार कुल 364 अधिकारी कार्यरत हैं।

(ख) चयन सूची 2016 के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक दिनांक 19/04/2017 को संपन्न कराई गई। भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12/06/2017 एवं 09/01/2018 तथा 18/01/2018 से राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 28 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति से नियुक्ति प्रदान की गई।

(ग) वर्ष 2017-18 में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के निम्नानुसार पदोन्नति आदेश जारी किए गए:-

आवंटन वर्ष	पदोन्नत अधिकारियों की संख्या	वेतनमान
2014	15	वरिष्ठ समय वेतनमान
2009	26	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड
2003 + 2005	16	प्रवर श्रेणी वेतनमान
2002	12	अधिसमय वेतनमान
1994	10	प्रमुख सचिव वेतनमान
1986	02	मुख्य सचिव ग्रेड

(घ) अखिल भारतीय सेवाऐं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(3) के अंतर्गत भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने वाले और 50 वर्ष की आयु/25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के प्रकरणों की समीक्षा दिनांक 02 अप्रैल, 2017 को संपन्न हुई, इसमें दिनांक 31/12/2016 तक 15 वर्ष की अर्हकारी

सेवा पूर्ण कर चुके 39 अधिकारी तथा दिनांक 31/12/2016 को 50 वर्ष की आयु तथा 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 103 अधिकारियों की समीक्षा की गई एवं समिति की अनुशंसा भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। छानबीन समिति की अनुशंसा के अनुसार मध्यप्रदेश संवर्ग के 01 अधिकारी को समयपूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव भेजा गया। भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश दिनांक 09/08/2017 द्वारा 01 अधिकारी को समयपूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई।

(ङ) भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (परफारमेन्स एप्रेजल रिपोर्ट) की ई-फाईलिंग की व्यवस्था लागू की गई है। पीएआर की ई-फाईलिंग को ऑपरेशनल करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रत्येक सदस्य का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) तैयार कराया गया है। वर्ष 2016-17 (01/04/2016 से 31/10/2016) एवं 01/11/2016 से 31/03/2017 के गोपनीय प्रतिवेदन (परफारमेन्स एप्रेजल रिपोर्ट) ऑन लाईन लिखे जाने के लिए सभी भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के PAR प्रपत्र कम्प्यूटर में तैयार कर संबंधित को प्रेषित किये। निर्धारित चैनल अनुसार प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को समय-समय पर PAR online एवं मैन्युअली भेजकर कर मतांकन की कार्यवाही online पूर्ण की जाकर संबंधित अधिकारी को online PAR Disclose किए गए।

(च) मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III में 07, मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-IV में 06 और मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-V में 11 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण पर भेजा गया। इंडक्शन ट्रेनिंग में मसूरी, हैदराबाद, कोलकाता एवं केरल में 11 अधिकारियों को प्रशिक्षण पर भेजा गया।

(छ) राज्य की प्रशिक्षण कार्ययोजना के अंतर्गत राज्य स्तर से 16 भारतीय प्रशासनिक सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को आई.आई.एम. इन्दौर में ''कॉन्ट्रेक्ट मैनेजमेंट'' विषय पर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

(ज) वर्ष 2017 में निम्नानुसार उल्लेखनीय कार्य किये गए:-

1) भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों तथा परिवार पेंशन प्रकरणों में सातवां वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप दिनांक

01 जनवरी, 2016 की स्थिति में पेंशन/परिवार पेंशन प्रकरणों के पुनरीक्षण की कार्यवाही संपन्न की गई। इसके अतिरिक्त दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 के मध्य सेवानिवृत्त 19 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया गया।

2) दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 के मध्य भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से संबंधित 07 विभागीय जांच प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार की वांछानुसार समय-समय पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के इम्पेनलमेंट के संबंध में विजिलेंस स्टेटस की जानकारी भेजी गई।

3) दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 की अवधि में भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित 256 शिकायतों का निराकरण किया गया।

4) समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का 01 जनवरी, 2016 की स्थिति में सातवें वेतनमान के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण की कार्यवाही संपादित की गई। इसी प्रकार नवीन नियुक्ति/पदोन्नति/वेतनवृद्धि आदि की स्थिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पक्ष में नियमानुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही की गई।

5) दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की स्थिति में कुल 335 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों द्वारा अचल संपत्ति विवरण नियमानुसार यथासमय प्रस्तुत किया गया। सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के अचल संपत्ति पत्रक प्राप्त किए जाकर उनकी एक प्रति भारत सरकार को भेजी गई।

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा

राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदों की कुल संख्या 774 है।

1. सीधी भर्ती/पदोन्नति

राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के कुल स्वीकृत पद	- 774
कुल स्वीकृत पदों में से पदोन्नति के पद	- 387
कुल स्वीकृत पदों में से सीधी भर्ती के पद	- 387
वर्ष में पदोन्नति से भरे हुए पद	- 261
सीधी भर्ती से भरे पद	- 321

2. विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही/शिकायत

कुल प्रकरण	- 108
वर्ष में निराकृत प्रकरण	- 36

वर्ष में कुल 130 शिकायत संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया गया।

3. न्यायालयीन प्रकरण

कुल न्यायालयीन प्रकरण	- 326
जवाबदावा प्रस्तुत	- 289

4. पेंशन प्रकरण

कुल निराकृत प्रकरण	- 18

5. अचल संपत्ति विवरण

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2016 के (31/12/2016 की स्थिति में) विभाग में प्रस्तुत, अद्यतन अचल संपत्ति विवरण पत्रकों को वेबसाईट पर दर्ज किया गया। 31 दिसम्बर, 2017 की स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के अचल संपत्ति विवरण ऑनलाईन करने की व्यवस्था लागू की गई।

6. क्रमोन्नति

दिनांक 01/01/2017 की स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान/वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान/प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति के लिए उपयुक्तता निर्धारण हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 23/01/2017 को संपन्न हुई। उपयुक्त पाये अधिकारियों के क्रमोन्नति आदेश निम्नानुसार जारी किये गए :-

1. अधिसमय वेतनमान	निरंक
2. वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान	31
3. प्रवर श्रेणी वेतनमान	38
4. वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान	36

7. पदक्रम सूची

दिनांक 01/04/2017 की स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की फोटोयुक्त पदक्रम सूची का प्रकाशन किया गया तथा उसे सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

8. प्रशिक्षण

राज्य शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के 09 स्तरीय प्रशिक्षण हेतु विस्तृत कार्ययोजना वर्ष 2017-18 लागू की गई। कार्ययोजना के अनुरूप प्रशिक्षणों का आयोजन संपन्न करने हेतु 3.44 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिये वित्तीय वर्ष में निम्नानुसार प्रशिक्षण आयोजित किये गए:-

क्रमांक	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	लाभान्वित अधिकारियों की अनुमानित संख्या
1.	आधारभूत एवं परिचयात्मक प्रशिक्षण	प्रशासन अकादमी, भोपाल	56
2.	टीम बिल्डिंग प्रशिक्षण	प्रशासन अकादमी, भोपाल	100
3.	पीअर प्रशिक्षण	प्रशासन अकादमी, भोपाल	25
4.	मिड करियर प्रशिक्षण	प्रशासन अकादमी, भोपाल	30
5.	प्रबंधकीय विषयों पर प्रशिक्षण	भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ	25
6.	नैतिकता एवं मूल्य संबंधी प्रशिक्षण	आई.सी.सेंटर फॉर गवर्नेंस, पंचगनी, पुणे (महाराष्ट्र)	141
7.	इनर इंजीनियरिंग प्रशिक्षण	ईशा फाउन्डेशन, कोयम्बटूर	30
8.	लोक नीति एवं सुशासन विषय प्रशिक्षण	ओ.पी.जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत (हरियाणा)	30
9.	कॉन्ट्रेक्ट मैनेजमेंट प्रशिक्षण	भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर	30

प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यरत 29 अधिकारियों को पंचम मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजा गया। यह कार्यक्रम दिनांक 22/08/2017 से 28/09/2017 तक की अवधि में आयोजित हुआ और इसके अंतर्गत प्रशासन अकादमी, भोपाल के अतिरिक्त गुजरात, अहमदाबाद, महाराष्ट्र एवं कोरिया डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, सियोल में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2014 एवं 2015 में आयोजित लोक सेवा आयोग की परीक्षा से चयनित 33 नव नियुक्त डिप्टी कलेक्टर्स का आधारभूत सह-परिचायात्मक प्रशिक्षण दिनांक 17/12/2017 से दिनांक 28/07/2017 तक आयोजित किया गया।

9. गोपनीय प्रतिवेदन

राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों के वर्ष 2015-16 के गोपनीय प्रतिवेदन को ऑनलाईन प्रस्तुत करने हेतु SPARROW जनरेट किया गया। जिसके माध्यम से समस्त राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी वर्षान्त 2016-17 को PAR Online से प्रस्तुत किया गया है।

10. भर्ती

वर्ष 2018 के लिए डिप्टी कलेक्टर्स की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव/मांग पत्र लोक सेवा आयोग को भेजा गया।

11. पदोन्नति

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पदोन्नति से संबंधित प्रकरण पर स्थगन दिये जाने से पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

12. राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति

चयन वर्ष 2016 के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति से नियुक्ति के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से रिक्तियों का निर्धारण कराया गया और 25 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति कर नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की गई।

13. नवाचार/पहल

(1) राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिये 09 स्तरीय प्रशिक्षण कार्य योजना लागू।

(2) राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिये यूनिक एम्प्लाई कोड जारी।

(3) राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिये अचल संपत्ति विवरण तथा गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन किये गए।

(4) राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की फोटो युक्त यूनिक आई.डी. तथा फोटो युक्त हिस्ट्री बुक तथा सेवानिवृत्त राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की जानकारी का प्रकाशन किये जाने की कार्यवाही गतिशील है।

(5) राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए राज्य शासन स्तर से आई.कार्ड. निर्मित कर जारी किये गए।

(3) मंत्रालयीन (राजपत्रित) अधिकारियों की स्थापना

मंत्रालयीन सेवा के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की सम्पूर्ण स्थापना का कार्य संपादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय में गैर सचिवालय सेवा के अधिकारियों एवं माननीय मंत्रीगणों की निजी स्थापना में विशेष सहायक एवं निज सचिव (वरिष्ठ वेतनमान) की पदस्थापना संबंधी कार्यवाही भी इस कक्ष द्वारा की जाती है।

1. पदोन्नति

विभागीय आदेश दिनांक 14/06/2016 द्वारा 31 निज सचिवों/स्टाफ ऑफिसर्स को द्वितीय समयमान वेतनमान दिया गया। विभागीय आदेश दिनांक 17/05/2017 द्वारा 02 निज सचिवों को द्वितीय समयमान वेतनमान एवं आदेश दिनांक 29/05/2017 द्वारा 21 निज सचिवों/स्टाफ ऑफिसर्स को तृतीय समयमान वेतन स्वीकृत किया गया।

2. पदक्रम सूची का प्रकाशन

मध्यप्रदेश मंत्रालय के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की दिनांक 01/04/2017 की स्थिति में फोटोयुक्त पदक्रम सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की गई।

3. विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण

मंत्रालय सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच के 05 प्रकरण प्रचलित हैं। सभी प्रकरणों में यथासमय कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

4. न्यायालयीन प्रकरण

वर्तमान में 05 न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित हैं, सभी प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गए हैं, जिनमें आगे सतत कार्यवाही प्रचलित है।

5. पेंशन प्रकरण

माह जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि में कुल सेवानिवृत्त 45 अधिकारियों में से, 40 अधिकारियों के पेंशन प्रकरण का अन्तिम निराकरण किया जा चुका है। शेष 05 प्रकरणों के अन्तिम निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है।

6. चल/अचल सम्पत्ति विवरण पत्रक

मंत्रालय सेवा के प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के दिनांक 31/12/2016 की स्थिति में प्राप्त विवरण पत्रकों को वेबसाईट पर यथासमय अपलोड किया जा चुका है। दिनांक 31/12/2017 की स्थिति में अचल सम्पत्ति विवरण पत्रकों को वेबसाईट पर दर्ज किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

7. विभाग द्वारा नवाचार के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

मंत्रालयीन सेवा के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी के माध्यम से, मंत्रालयीन कार्य प्रणाली तथा पेंशन एवं लेखा तथा विभागीय जांच संबंधी विषयों पर 44 अधिकारियों को एक-एक सप्ताह का प्रशिक्षण तथा मेपआईटी द्वारा एनआईसी के माध्यम से ई-व्यवस्था के संबंध में मीटिंग मॉनिटरिंग/ऑनलाईन सी.एल. व्यवस्था विषय पर 50 अधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय सेवा के कुल 81 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंचगनी स्थित आईओसी सेन्टर फॉर गवर्नेंस एशियन प्लेट्यू पंचगनी, महाराष्ट्र के माध्यम से नैतिक मूल्यों संबंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के परिप्रेक्ष्य में नस्तियों की स्कैनिंग, कर्मचारियों का प्रशिक्षण आदि कार्यवाहियां प्रचलनाधीन है।

(4) मंत्रालयीन (अराजपत्रित) कर्मचारियों की स्थापना

1. पदोन्नति

मध्यप्रदेश मंत्रालय में विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत पदों में संभावित रिक्त पदों की गणना कर प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी से दिसम्बर अंत तक संभावित रिक्तियों की पूर्ति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाकर पदोन्नति के योग्य शासकीय सेवकों की सूची तैयार की जाती है। इस अनुक्रम में वर्ष 2017 में आरक्षण संबंधी प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण माह मई, 2016 से पदोन्नति संबंधी कार्यवाही स्थगित है।

2. नियुक्ति

मध्यप्रदेश मंत्रालय में सीधी भरती कार्यवाही हेतु प्रोफेशनल इग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के माध्यम से चयन परीक्षा आयोजित करा कर आवश्यकता अनुसार योग्य

उम्मीदवारों का चयन कर नियुक्ति दी जाती है। वर्ष 2017 में सीधी भर्ती के प्रोफेशनल इग्जामिनेशन बोर्ड से चयनित सहायक ग्रेड-3 के 40 पद, शीघ्रलेखक के 09 एवं स्टेनोटापिस्ट के 16 इस प्रकार कुल 65 पदों की पूर्ति की गई है। इसके अतिरिक्त सहायक ग्रेड-3 के 02 पदों की पूर्ति अनुकंपा के आधार पर की गई है। साथ ही शीघ्रलेखक के एक पद पूर्ति मंत्रि-परिषद निर्णय के अनुपालन में संविलियन द्वारा की गई है।

3. प्रशिक्षण

वर्ष 2017 मे 25 मंत्रालयीन कर्मचारियों को पंचगनी, महाराष्ट्र में प्रशिक्षण एवं 04 कर्मचारियों को ईशा फाउण्डेशन शिविर, कोयम्बटूर, तमिलनाडू में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था।

4. पदक्रम सूची का प्रकाशन

मध्यप्रदेश मंत्रालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की दिनांक 01/04/2017 की स्थिति में पदक्रम सूची बनाकर वेबसाईट पर जारी की गई।

5. विभागीय एवं आपराधिक प्रकरण

मंत्रालय सेवा के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के 03 आपराधिक प्रकरण प्रचलित हैं।

6. पंजी संधारण

मंत्रालय के कर्मचारियों के बैंक लोन से संबंधित 89 प्रकरण बैंक को अग्रेषित किये गए, सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर 327 परिपत्र अपलोड किये गए। मंत्रालय के तृतीय श्रेणी के 45 कर्मचारियों को वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदाय की गई साथ ही 48 कर्मचारियों के ई-मेल आई.डी. जनरेट किये गए।

7. तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण

जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक कुल सेवानिवृत्त 40 कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जा चुका है।

8. चल-अचल संपत्ति विवरण पत्रक

मंत्रालय सेवा के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के दिनांक 31/12/2016 की स्थिति में चल/अचल संपत्ति विवरण पत्रकों को वेबसाईट पर अपलोड किया जा चुका है।

(5) अधीक्षण शाखा (चतुर्थ श्रेणी - स्थापना)

1. सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण शाखा द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थापना, मंत्रालय की साफ-सफाई, देख-रेख/रख-रखाव तथा मशीन उपकरण एवं स्टेशनरी/फर्नीचर के क्रय संबंधी आदि कार्य, मंत्रीगण/अधिकारीगण के कक्षों की साज-सज्जा, सिविल/विद्युत/जल/सुरक्षा व्यवस्था आदि कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

2. मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुल 635 पद स्वीकृत हैं।

3. वर्ष 2017 में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में 18 कर्मचारी सेवानिवृत्त एवं 02 कर्मचारी दिवंगत हुए। जिनमें 18 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।

4. मंत्रालय के नियमित एवं मुख्यमंत्री/पूर्व मुख्यमंत्री/मंत्रीगणों की निजी स्थापना में पदस्थ अस्थाई चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों का सेवा सत्यापन किया गया एवं जुलाई, 2017 में वार्षिक वेतनवृद्धि दी गई।

5. वर्ष 2017 में मंत्रालय में पदस्थ नवनियुक्त 03 भृत्यों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई।

6. वर्ष 2017 में मंत्रालय के भा.प्र.से./अधिकारियों एवं शासकीय सेवकों-तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी के 242 स्थाई मंत्रालय प्रवेश-पत्र बनाये गए।

7. 02 अक्टूबर, 2017 को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मंत्रालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जो निरंतर जारी है।

8. मध्यप्रदेश स्थापना दिवस (01 नवम्बर, 2017) समारोह के उपलक्ष्य में मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्रीजी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

9. आतंकवादी हिंसा में मारे गए परिवार के बच्चों की सहायता हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर मंत्रालय में दिनांक 19-25 नवम्बर, 2017 तक साम्प्रदायिक सद्भाव सप्ताह मनाया गया, जिसमें दान स्वरूप प्राप्त राशि ₹14,873/- साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजी गई।

10. प्रतिमाह वंदे मातरम् गान का आयोजन किया जाना।

निम्नलिखित शपथ कार्यक्रम सम्पन्न करायेः-

1. दिनांक 25/01/2017 को मतदाता दिवस।
2. दिनांक 30/01/2017 को शहीद दिवस।
3. दिनांक 21/05/2017 को आतंकवाद विरोध दिवस का शपथ कार्यक्रम।
4. दिनांक 20/08/2017 को सांप्रदायिक सद्भाव दिवस।
5. दिनांक 31/10/2017 को राष्ट्रीय एकता दिवस।
6. दिनांक 01/11/2017 को मध्यप्रदेश संकल्प दिवस।
7. दिनांक 19/11/2017 को राष्टीय अखण्डता दिवस।
8. दिनांक 26/11/2017 को संविधान दिवस।
9. दिनांक 10/12/2017 को मानव अधिकार दिवस।
10. दिनांक 24/12/2017 को सुशासन दिवस।

4. विभाग के अंतर्गत कार्यरत विभागाध्यक्ष कार्यालय/संगठन की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

4.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में तीन सदस्यों के पद भरे हैं तथा एक सदस्य, अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

(2) वर्ष 2017 में आयोजित परीक्षाऐं एवं सीधे साक्षात्कार द्वारा किये गए चयनः-

स.क्र.	प्रतियोगी/लिखित परीक्षा का नाम	पद संख्या	परीक्षा में उपस्थित की संख्या	सफल उम्मीदवारों की संख्या	साक्षात्कार में आमंत्रित की संख्या	चयनित उम्मीदवारों की संख्या
1.	राज्य सेवा परीक्षा-2015 (संशोधित 13/07/2017)	410	6089	1244	1223	400
2.	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी-2015	251	12511	777	754	251
3.	विशेषज्ञ आयुर्वेद परीक्षा-2015	08	59	22	21	08
4.	सूचना प्रौद्योगिकी ऑनलाईन परीक्षा-2016	34	5761	115	111	33
5.	राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2016	255	3794	771	758	253
6.	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ परीक्षा-2016	492	599	549	440	304
7.	राज्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2016	277	3542	650	610	238
8.	राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2017	507	7508	1528	1528	साक्षात्कार पूर्ण हो चुके हैं चयन परिणाम दिसम्बर माह में आने की संभावना है।
9.	राज्य अभियांत्रिकी सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2017	118	12467	1975	---	---
10.	राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2017	174	1931	---	---	---
11.	म.प्र. खेल एवं युवा कल्याण सेवा परीक्षा-2017	25	449	77	72	21

सीधे साक्षात्कार द्वारा					
स.क्र.	पद का नाम	पद संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	साक्षात्कार में आमंत्रित की संख्या	चयनित उम्मीदवारों की संख्या
1.	अधीक्षक आयुर्वेद चिकित्सालय-2015	02	108	16	02

4.2 आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी

परिचय

अकादमी की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। तत्समय इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान था। संस्थान को वर्ष 1975 में वर्तमान परिसर में स्थानांतरित किया गया। वर्ष 2001 में दिनांक 11/10/2001 से इसका नाम आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश रखा गया है। राज्य के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु निर्मित इस संस्थान को मध्यप्रदेश शासन के द्वारा वर्ष 1987 में प्रशिक्षण हेतु नोडल ऐजेंसी घोषित किया गया। राज्य की शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्था होने से यह मध्यप्रदेश शासन के सभी विभागों के लिये प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन करती है।

वर्ष 1992 में ओवरसीज डेव्लपमेंट अथॉरिटी यू.के. तथा भारत सरकार के तत्वावधान में प्रायोजित ''प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण'' एवं ''जेण्डर प्लानिंग'' प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अकादमी क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत यह मध्यप्रदेश के अतिरिक्त कुछ राज्यों के प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने का कार्य कर रही है। मार्च 1994 में इसे प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1999 में अकादमी को भारत सरकार ने प्रशिक्षण के क्षेत्र में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की श्रेष्ठ कार्य योजना के लिये भी सम्मानित किया है। वर्ष 2003-04 में इसे आई. एस. ओ. 9001-2001 प्रदान किया गया था। वर्तमान में भी पुनः अकादमी को वर्ष 2016-17 हेतु आई.एस.ओ. 9001-2001 प्राप्त हुआ है।

प्रशासन अकादमी में उपलब्ध अधोसंरचना

अकादमी मुख्य भवन में संकाय सदस्यों के कक्षों के अतिरिक्त स्मार्ट क्लास रूम, कॉंफ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम, मिनी थिएटर, कम्प्यूटर लैब एवं ग्रंथालय स्थित हैं।

अकादमी आवासीय प्रशिक्षण हेतु 54 कमरों का आधुनिक छात्रावास, 154 वातानुकूलित कमरों का छात्रावास एवं वी.आई.पी. गेस्ट हाऊस स्थित है।

अकादमी में सेवारत् अधिकारियों/कर्मचारियों के परिसर में निवास हेतु 81 आवासगृह स्थित हैं।

प्रशिक्षणार्थियों को खेलकूल सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से परिसर में बैडमिंटन, स्क्वॉश, लॉग टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस हॉल, वातानुकूलित जिम, बिलियर्ड कक्ष, योगा हॉल के अतिरिक्त फुटबॉल ग्राउण्ड एवं वॉलीबॉल कोर्ट उपलब्ध हैं।

अकादमी में स्वीकृत पद

क्र.	श्रेणी	स्वीकृत पद
1.	प्रथम श्रेणी	16
2.	द्वितीय श्रेणी	06
3.	तृतीय श्रेणी	50
4.	चतुर्थ श्रेणी नियमित	27
5.	आकस्मिकता निधि	26
6.	स्थायी कर्मी कार्यरत	17

उद्देश्य

अकादमी के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए प्रशिक्षण नीति निर्माण में सहयोग एवं सलाह देना।
- सम्पूर्ण राज्य में आवश्यकतानुसार राज्य की अन्य सेवाओं को प्रशिक्षण के प्रबन्धन हेतु मार्गदर्शन देना।
- राज्य उच्च सेवाओं के लिए सीधी भर्ती द्वारा चयनित व पदोन्नत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की संरचना व आयोजन करना।
- प्रशिक्षण तथा विकास से संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन तथा अनुसंधान के कार्य करना।
- प्रशिक्षण के क्षेत्र में नये विकास को समाहित करने की दृष्टि से अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं से सतत् संपर्क तथा सहयोग बनाये रखना।
- निम्नलिखित संस्थाओं/व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना:
  - i. भारत सरकार
  - ii. राज्य सरकार
  - iii. भारत सरकार के उपक्रम
  - iv. राज्य सरकार के उपक्रम
  - v. निर्वाचित जनप्रतिनिधि
  - vi. पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारी
  - vii. नगरीय निकाय के पदाधिकारी
  - viii. स्वयंसेवी संस्थाएं
  - ix. जिला एवं प्रदेश स्तरीय अन्य प्रशिक्षण संस्थाएं

लक्ष्य

- एक ऐसा वातावरण निर्मित करना, जो शिक्षा और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है।
- प्रशिक्षण के क्षेत्र में अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना।
- समस्त लोक सेवकों के लिये दूरस्थ प्रशिक्षण पद्धति सहित, विविध पद्धतियों के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- प्रशिक्षणार्थियों को व्यवसायिक दक्षता एवं नैतिकता के उच्च मापदण्डों को प्रोत्साहित करना।
- प्रशिक्षणार्थियों को इस योग्य बनाना, कि वे समाज को अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे सकें।

गुणवत्ता नीति

गुणवत्ता नीति से आशय उन प्रमुख नीतियों से हैं, जिन्हें लक्ष्यों को साकार करने के उद्देश्य से अकादमी के द्वारा लागू किया जाना है, इस अकादमी के द्वारा लागू किया जाना है, इस अकादमी की गुणवत्ता नीति निम्नानुसार है:

- दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के उच्च मापदण्ड निर्धारित करना और उन्हें लागू करना ताकि सेवा प्राप्त करने वाले संगठनों एवं प्रशिक्षणार्थियों को संतुष्ट किया जा सके।
- समस्त कार्यों की प्रक्रियाओं को अभिलिखित करना, उनका मानकीकरण करना एवं उनमें निरंतर सुधार लाना।
- सभी संबंधित वर्गों को ''गुणात्मक सुधार समूह'' में सम्मिलित कर गुणवत्ता को निरंन्तर बढ़ाना।
- सभी संकाय सदस्यों एवं कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत विकास के अवसर उपलब्ध कराना ताकि उनके व्यक्तिगत विकास के साथ ही संस्था का विकास हो।

उपलब्धियां

- अकादमी द्वारा वर्ष 2016-17 में 239 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें 7815 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। वर्तमान वर्ष 2017-18 में दिनांक 01/04/2017 से 31/12/2017 तक 229 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें 7071 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा शासन के अधिकारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण की जिम्मेदारी अकादमी को सौंपी गई है। अकादमी द्वारा चार आई.टी.मॉड्यूल तैयार कर एक-एक सप्ताह के बेसिक कम्प्यूटर, ई-गर्वेनेंस एवं कार्यालयीन प्रक्रिया का

कम्प्यूटरीकरण, दो सप्ताह का एडवांस कम्प्यूटर एवं तीन सप्ताह का सायबर सुरक्षा एवं प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम अकादमी में आयोजित किये जा रहे हैं।

- अकादमी द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन/लोक निर्माण विभाग के माध्यम से परिसर में स्वीमिंग पूल निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ऑडिटोरियम एवं ग्रंथालय का उन्नयन कार्य प्रगति पर है एवं दस क्लास रूम को स्मार्ट क्लास रूम में परिवर्तित किया गया है।

अकादमी में स्थापित विशिष्टीकृत केन्द्र/परियोजना

अकादमी में भारत सरकार तथा राज्य सरकार की सहायता से विशिष्ट विषयों के प्रशिक्षण हेतु वर्तमान में निम्नानुसार केन्द्र/परियोजना स्थापित हैः-

- सेटकाम केन्द्र
- राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट)
- नेशनल लैण्ड रिकार्ड मॉडर्नाइजेशन परियोजना
- महिला संसाधन केन्द्र
- विश्व व्यापार संसाधन केन्द्र
- सुशासन एवं ज्ञान प्रबंधन केन्द्र
- स्वामी विवेकानन्द पीठ
- हुडको चेयर
- सूचना का अधिकार परियोजना
- सेवोत्तम प्रकोष्ठ
- आई.टी.पी. परियोजना

बजट

मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी को मांग संख्या 1-मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 003-प्रशिक्षण (2716) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लिए आयोजनेत्तर मद में कुल राशि ₹14,56,78,000/- एवं आयोजना मद में राशि ₹5,61,13,000/- इस प्रकार 2017-18 हेतु आयोजनेत्तर/आयोजना मद में कुल ₹20,17,91,000/- स्वीकृत हैं।

मंथन का आयोजन

''मंथन'' शासन के शीर्ष स्तर के नीति निर्धारक एवं मैदानी अधिकारियों के बीच समग्र रुप से संवाद और विचार-विमर्श और उस पर चितंन करने की प्रक्रिया है, ताकि शीर्ष स्तर पर कार्यक्रम एवं नीति निर्धारण के समय मैदानी हकीकत को समाहित किया जा सके।

साथ ही मैदानी अमले को योजना/कार्यक्रम का सही स्वरूप ज्ञात हो सके, जिससे कि विभिन्न नीतियों/योजनाओं के और भी बेहतर एवं प्रभावी परिणाम प्राप्त हो सकें।

राज्य शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन करने के लिये समग्र रुप से विचार-विमर्श हेतु दिनांक 27-28 सितम्बर, 2014 तक की अवधि में 2 दिवसीय राज्यस्तरीय मंथन-2014 का सफलतापूर्वक आयोजन सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रशासन अकादमी, भोपाल के द्वारा किया गया।

4.3 मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/08/2005 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। आयोग का कार्य, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन द्वितीय अपीलों की सुनवाई करना एवं वर्षान्त में अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर शासन को प्रस्तुत करना है।

आयोग को वर्ष 2017-18 के लिए ₹475 लाख का बजट आवंटित है।

वर्तमान में म.प्र. राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं 03 सूचना आयुक्त हैं।

राज्य सूचना आयोग के लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त एवं निराकृत आवेदनों की जानकारी

क्र.	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक	निराकृत आवेदनों संख्या दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक
1	358	298

राज्य सूचना आयोग के अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील आवेदन प्राप्त एवं निराकृत की जानकारी :-

क्र.	प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक	निराकृत प्रथम अपीलों की संख्या दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक
1	58	35

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त एवं निराकृत अपीलों की जानकारीः-

क्र.	प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक	निराकृत द्वितीय अपीलों की संख्या दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक
1	4753	4373

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त एवं निराकृत शिकायतों की जानकारीः-

क्र.	प्राप्त आवेदनों की संख्या दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक	पिछले वर्षों के लंबित आवेदन पत्रों सहित निराकृत आवेदनों संख्या दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक
1	562	1160

4.4 लोकायुक्त संगठन

भ्रष्टाचार तथा अधिकारों के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने के लिये राज्य शासन द्वारा 1 मार्च, 1964 को राज्य सतर्कता आयोग का गठन किया गया, जिसे समाप्त कर दिनांक 14/02/1982 को लोकायुक्त संगठन की स्थापना की गई। मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 12 (4) के अंतर्गत लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त द्वारा प्रतिवर्ष संपादित कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् वार्षिक प्रतिवेदन व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

लोकायुक्त संगठन द्वारा दिनांक 01/01/2017 से 31/12/2017 तक निष्पादित कार्य के संबंध में संक्षिप्त टीप एवं आंकड़ों सहित जानकारी निम्नानुसार हैः-

1. दिनांक 01/01/2017 से 31/12/2017 तक संगठन में कुल 6267 शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनमें से 1307 शिकायतें जांच हेतु पंजीबद्ध की गई है तथा संगठन में उक्त अवधि में 2867 शिकायतें नस्तीबद्ध की गई एवं 672 शिकायतें आवश्यक कार्यवाही हेतु विभाग को भेजी गई।
2. उक्त अवधि में प्रकरण में विभागीय जांच/विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा नहीं की गई।
3. शासन के विभिन्न विभागों से 13 प्रकरणों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभागीय स्तर पर दण्डित किये जाने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त अवधि में 309 प्रकरण समाप्त किये गए।
4. लोकायुक्त संगठन में विशेष पुलिस स्थापना में दिनांक 01/01/2017 से 13/12/2017 तक रिश्वती मामले के संबंध में (ट्रेप) 254 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में (छापा) 12 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए। पद के दुरूपयोग के संबंध में 28 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए, तथा उक्त अवधि में कुल 294 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गए हैं। वर्ष 2017 में 10 छापों के प्रकरणों में लगभग ₹25,09,71,928/- की संपत्ति प्रथम दृष्टिया उजागर हुई है।

5. लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना की इकाईयों द्वारा विभिन्न माननीय विशेष न्यायालयों में दिनांक 01/01/2017 से 31/12/2017 तक कुल 238 चालान प्रस्तुत किये गए हैं। लोकयुक्त संगठन की शिकायत एवं जांच शाखा तथा तकनीकी शाखा की पहल पर ₹14,33,19,111/- की वसूली विभाग द्वारा की गई है।
6. लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना में पंजीबद्ध प्रकरणों में विभिन्न माननीय विशेष न्यायालयों द्वारा दिनांक 01/01/2017 से 31/12/2017 तक 112 अभियुक्तों को सजा से दंडित किया गया है।

4.5 आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ

भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराधों पर रोक लगाने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में भ्रष्टाचार की जांच की जाती है। प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

दिनांक 01/01/2017 से 31/12/2017 तक पंजीबद्ध एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी

अपराध			योग	प्रारंभिक जांच		शिकायत	
पंजीबद्ध	चालान/ पूरक चालान	खात्मा		पंजीबद्ध	निराकरण	पंजीबद्ध	निराकरण
64	**12**	**08**	**20**	**25**	**22**	**128**	**108**

4.6 मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन

मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन द्वारा निर्माण कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता का स्तर तथा लागत व्यय को स्वीकार योग्य मापदण्ड के अनुरूप रखे जाने के संबंध में कार्यो का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31 दिसम्बर, 2017 की स्थिति में प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

स. क्र.	नवीन प्रकरण	लंबित प्रकरण	निराकृत प्रकरण	गंभीर प्रकरण	लंबित गंभीर प्रकरण	निराकृत गंभीर प्रकरण	शिकायत निराकृत	लंबित शिकायत	वसूली राशि (लाख में)
1.	**81**	**1726**	**53**	**09**	**07**	**02**	**15**	**09**	**1183.33**

संगठन द्वारा वर्ष 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है।

वर्ष 2017-18 में प्राप्त ₹549.53 लाख के विरूद्ध कुल ₹274.56 लाख का व्यय किया गया। संगठन में 27 पद रिक्त होने के कारण वेतन भत्ते के मद में कम व्यय हुआ है।

4.7 विभागीय जांच आयुक्त

राज्य शासन के अधीन पदस्थ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रकरणों में जांच की कार्यवाही किये जाने हेतु आयुक्त, विभागीय जांच

की स्थापना गठित है। आयुक्त, विभागीय जांच अधिकारी के पद पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की पदस्थापना की जाती है। वर्तमान में उक्त पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी संविदा नियुक्ति पर पदस्थ होकर कार्यरत हैं।

01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 के मध्य विभागीय जांच प्रकरणों की संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है:-

1.	01 जनवरी, 2017 को लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की संख्या	24
2.	31 दिसम्बर, 2017 तक प्राप्त नये विभागीय जांच प्रकरणों की संख्या	20
3.	कुल लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की संख्या	44
4.	31 दिसम्बर, 2017 तक निराकृत/वापिस किये गए विभागीय जांच प्रकरणों की संख्या	22
5.	शेष बचे विभागीय जांच प्रकरणों की संख्या	22

4.8 <u>आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली</u>

(1) मध्यप्रदेश भवन का पुर्ननिर्माण

मध्यप्रदेश शासन द्वारा नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन के पुर्ननिर्माण के निर्णय के अनुक्रम में केन्द्रीय शासन से सघन अनुसरण कर नये मध्यप्रदेश भवन हेतु नई दिल्ली के चाणक्यपुरी क्षेत्र में 1.47 एकड़ क्षेत्रफल का प्लाट नं. 29C एवं 29D जो जीजस एण्ड मेरी मार्ग तथा डॉ. राधकृष्णन मार्ग के 'टी' जंक्शन पर स्थित है, का केन्द्रीय मंत्रिमंडल से अनुमोदन करा कर केन्द्र सरकार से आवंटन कराने में सफलता पाई। तदुपरांत इसका आधिपत्य प्राप्त किया। इस भूमि के आवंटन आदेश की शर्त के अनुसार इस भूमि का 'भूमि उपयोग' परिवर्तन कराने का उत्तरदायित्व आवंटी का था। 'भूमि उपयोग' परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रायः सामान्यतः 8 से 12 माह का समय लगता है परन्तु मध्यप्रदेश भवन के अधिकारियों के सघन अनुसरण के फलस्वरूप भूमि परिवर्तन की प्रक्रिया दि.वि.प्रा. से ढाई माह के अल्प समय में पूर्ण कराने में सफलता पाई।

शासन के निर्देशानुसार नये मध्यप्रदेश भवन के निर्माण हेतु शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत NBCC को निर्माण एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है। नये मध्यप्रदेश भवन के निर्माण हेतु गठित मध्यप्रदेश शासन की साधिकार समिति के निर्देशानुसार NBCC द्वारा वास्तुविदीय प्लानिंग की प्रक्रिया की जा रही है।

(2) मध्यांचल विस्तार

नई दिल्ली में वसंत कुंज स्थित 'मध्यांचल' के पीछे खाली पड़ी दि.वि.प्रा. की 1186 वर्ग मी. भूमि को सघन प्रयासों के बाद दि.वि.प्रा. से लीज पर लेकर उसका आधिपत्य भी प्राप्त कर लिया गया है। इस भूमि पर मध्यप्रदेश सशस्त्र सुरक्षा बल के नई दिल्ली में पदस्थ सुरक्षाकर्मियों, जो वर्तमान में मध्यप्रदेश भवन के पीछे अनाधिकृत रूप से टेंटो एवं शेडों में अनुपयुक्त परिस्थितियों में रहवास कर रहे हैं, के लिये बैरेक्स, किचन, शौचालय, डाईनिंग रूम, मनोरंजन कक्ष के साथ कुछ अतिथि कक्ष एवं अधिकारियों एवं नवनिर्वाचित सांसदों हेतु ट्रांजिट आवासों का निर्माण प्रस्तावित किया जा रहा है। इस मध्यांचल विस्तार के निर्माण हेतु भी शासन द्वारा NBCC को निर्माण एजेन्सी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

(3) मध्यलोक का निर्माण

मध्यलोक का निर्माण कार्य प्रायः पूर्ण हो गया है एवं नवी मुंबई म्यूनिसिपल कार्पोरेशन से 'आक्यूपेंसी प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। मध्यलोक के संचालन हेतु सुरक्षा, हाउसकीपिंग, किचन इत्यादि सेवाओं हेतु अंतरिम व्यवस्था के रूप में बाह्यस्त्रोत से कर्मचारियों की सेवाऐं प्राप्त करने हेतु शासन से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। जिसके लिए कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जा रही है।

(4) मध्यांचल

मध्यांचल में 05 वी.आई.पी. सुईटों का उन्नयन कार्य एवं 03 नवीन वी.आई.पी. सुईटों का निर्माण कार्य सम्पन्न कराया गया। इसके अतिरिक्त 12 कक्षों के टॉयलेट का नवीनीकरण कार्य पूर्ण कराये जाने के साथ-साथ 12 अन्य कक्षों के टॉयलेट का नवीनीकरण कार्य भी प्रगति पर है।

(5) प्रदेश के विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा व्यवस्था

माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के दिल्ली भ्रमण के दौरान उनकी कारकेड और सुरक्षा प्रबंधों को पुनरीक्षित और अपग्रेड किया गया था, जिससे विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। राज्य के विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से बेहतर सहयोग और इंटेलिजेंस के लिए निरंतर संपर्क और अनुसरण किये जा रहे हैं।

(6) प्रशासनिक सुधार

मध्यप्रदेश भवन एवं मध्यांचल की साफ सफाई, मरम्मत/रखरखाव पर विशेष ध्यान देकर इन भवनों की प्रशासनिक और सत्कार की व्यवस्थाओं में सुधार लाने हेतु Whatsapp पर विभिन्न एजेंसियों के साथ अधिकारियो/कर्मचारियों का 'समस्याओं-निराकरण' का ग्रुप बनाया गया है, जिससे इनमें सुधार परिलक्षित हो रहा है। साथ ही, दोनों भवनों के स्टाफ को साफ-सफाई, रखरखाव और सत्कार के अनेक बिन्दुओं पर छोटे-छोटे आंतरिक प्रशिक्षण दिये गए तथा एसओपी तैयार कर क्रियान्वित की जा रही है, जिससे अतिथियों की व्यवस्थाओं में सुधार परिलक्षित हुआ है।

(7) मध्यप्रदेश के बाहर घटित दुर्घटनाओं में राज्य के व्यक्तियों को शीघ्र मदद पहुंचाना

क. दिनांक 23/05/2017 को उत्तरकाशी, उत्तराखंड में हुई बस दुर्घटना - गंगोत्री यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों की बस दिनांक 23/05/2017 को उत्तरकाशी क्षेत्र में दुर्घनाग्रस्त होकर भागीरथी नदी में गिर गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश भवन के अधिकारियों की एक टीम द्वारा उत्तरकाशी जाकर स्थानीय प्रशासन से संपर्क स्थापित कर उचित कार्यवाही की गई तथा दुर्घटना स्थल पर जाकर जायजा लिया गया जहां पर 24 शव बरामद हुए थे। इनमें 22 शव जिला इंदौर एवं धार के थे, शेष ड्रायवर एवं कंडेक्टर के शव थे जो स्थानीय थे। शवों का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत अंतिम संस्कार हेतु उन्हें परिजनों को सुपुर्द करने हेतु भेजा गया।

ख. मुजफ्फरनगर, उत्तरप्रदेश में दिनांक 19/08/2017 को हुई रेलगाडी दुर्घटना - भवन अधिकारियों द्वारा दिनांक 20/08/2017 को हुई दुर्घटना के स्थल खतौली, मुजफ्फरनगर जाकर विभिन्न अस्पतालों में दाखिल मध्यप्रदेश के निवासियों से संपर्क स्थापित किया गया, साथ ही स्थानीय प्रशासन से संपर्क करते हुए घायलों को समुचित सहायता प्रदान कराने का कार्य किया गया।

ग. मुम्बई रेलवे स्टेशन में दिनांक 29/09/2017 को भगदड़ के दौरान हुए हादसे में मध्यप्रदेश के सतना निवासी श्री चंदन गणेश सिंह की मृत्यु हुई थी। तत्समय पीडित परिवार को मध्यप्रदेश शासन की ओर से आवश्यक मदद एवं संवेदना पहुंचाई गयी थी।

(8) मध्यप्रदेश के लिए राज्य के बाहर से धनराशि उपलब्ध कराई जाना और राज्य के मुद्दों का केन्द्र में अनुसरण

दिनांक 16/01/2018 तक केन्द्र से राज्य की ओर कुल ₹75,000 करोड़ से अधिक का अंतरण हो पाया, जिसमें बजटीय मदों में कुल ₹27,249.91 करोड़

शामिल थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न गैर-वित्तीय उपलब्धियां भी रहीं जिनमें राज्य में पॉलिथिन बैग पर प्रतिबंध से संबंधित मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 में संशोधन विधेयक पर महामहीम भारत के राष्ट्रपति जी का अनुमोदन प्राप्त करना एक प्रमुख उपलब्धि रही है।

(9) प्रमुख आयोजन

इस वर्ष निम्न प्रमुख आयोजन हुएः-

क. मध्यांचल में विभिन्न राज्यों के माननीय संस्कृति मंत्रीगण तथा संस्कृति से संबंधित अन्य प्रबुद्धजनों का दो दिवसीय सम्मेलन का माह जून, 2017 में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस आयोजन एवं मध्यांचल की व्यवस्थाओं की श्रीमती मालिनी अवस्थी, लोक गायक (उ.प्र.), श्री एल.एन.चौधरी, मंत्री (उ.प्र.), श्रीमती प्रिया सेठ, मंत्री (जम्मू एण्ड कश्मीर), श्रीमती कविता जैन, मंत्री (हरियाणा), पद्मविभूषण श्रीमती सोनल मानसिंह, नृत्यांगना, श्री अमर कुमार, मंत्री (झारखंड), श्री विनय सहस्त्रबुद्धे, सांसद, श्री सुरेन्द्र पटवा, मंत्री (म.प्र.), श्री राजेन्द्र द्विवेदी, मंत्री (गुजरात) द्वारा प्रशंसा कर 'विजिटर बुक' में अपने विचार अंकित किये गए।

ख. मध्यांचल एवं मध्यप्रदेश भवन में दिनांक 21 जून, 2017 को 'योग दिवस' का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

ग. नई दिल्ली में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, जैसे 'पर्यटन पर्व' (पर्यटन मंत्रालय), प्रस्तावित गणतंत्र दिवस पर 'भारत पर्व' (रक्षा मंत्रालय) आदि में मध्यप्रदेश भवन द्वारा राज्य के संस्थानों से समन्वय करते हुए उत्साहपूर्वक सराहनीय भागीदारी रहीं।

घ. भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2017 में राज्य की सराहनीय उपस्थिति रही।

ङ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित 'एक भारत - श्रेष्ठ भारत' अंतर्गत स्थानीय स्तर पर मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट्स ''मणिपुर एवं नागालैण्ड'' के दिल्ली स्थित राज्य भवनों के साथ क्रमशः दिनांक 19 एवं 20 अगस्त, 2017 को नागालैण्ड भवन एवं मणिपुर भवन में मध्यप्रदेश राज्य के व्यंजनों का 'आहार उत्सव' का आयोजन किया गया। मध्यप्रदेश भवन में क्रमशः दिनांक 26 अगस्त, 2017 एवं 03 सितम्बर, 2017 को नागालैण्ड एवं मणिपुर राज्यों के द्वारा उनके व्यंजनों का 'आहार उत्सव' किया गया, जिसमें मध्यप्रदेश के माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा (मंत्री), माननीय श्री रामेश्वर शर्मा (विधायक), माननीय श्री के.पी.सिंह (विधायक) एवं श्री सत्यपाल सिंह

सिकरवार (विधायक) की गरिमामयी उपस्थिति, मीडिया ब्रीफिंग एवं भागिदारिता रही।

4.9 मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्य जन सामान्य के मानव अधिकारों के हनन के मामलों में संज्ञान लेकर प्रकरणों की छान-बीन करना है। आयोग द्वारा जनजागृति को लेकर अनेक प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा आयोग मानव अधिकार हनन के कतिपय मामलों में अपने अनुसंधान दल की मदद से जांच पड़ताल आदि कर उन पर कार्यवाही करता है।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को दिनांक 01/04/2017 से 30/11/2017 तक कुल 6806 शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा दिनांक 30/11/2016 तक 4577 शिकायतों/प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इस अवधि के दौरान आयोग द्वारा व्यापक जनहित के मुद्दों पर एवं समाचार-पत्रों में मानव अधिकार हनन से संबंधित 6806 खबरों पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की गई। इसके अलावा जागरूकता कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण का सिलसिला भी शुरू हुआ है। अब प्रत्येक जिलों में निर्धारित विषय पर एक साथ कार्यक्रम होते हैं। आयोग के पदाधिकारीगण अलग-अलग इन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं।

वर्ष 2017-18 में दिनांक 30/11/2017 तक प्राप्त शिकायतों के निराकरण के दौरान आयोग द्वारा 76 प्रकरणों में राज्य शासन को अनुशंसाएं भेजी गई है। विगत वर्षों में आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं में से शासन द्वारा 23 अनुशंसाओं का निराकरण किया गया है। विगत वर्षों में आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं में से अभी तक शासन स्तर पर 223 अनुशंसाएं लंबित हैं।

मानव अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त हैं। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग, भेद के आधार पर न हो, इस धारणा को ध्यान में रखकर आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा-12 में अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन करता है। इनमें पीड़ितों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिये जिला स्तर पर सलाहकार समितियों का गठन किया गया है तथा कार्य प्रणाली निर्धारित कर एक स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम का नाम ''पीड़ितों के मानव अधिकार संरक्षण हेतु गठित सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली हेतु स्कीम'' है। इसमें पीड़ित से आशय ''उन सभी व्यक्तियों से है, जिनको व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कोई शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक उत्पीड़न या क्षति हुई हो। पीड़ितों की श्रेणी में ऐसे मामलों, जिनमें मौलिक अधिकारों को किन्हीं कृत्यों या लापरवाही से आघात लगा हो, जो देश के किसी संबंधित कानून में अपराध की परिभाषा में शामिल हो या कानून में शक्ति का आपराधिक दुष्प्रयोग मानकर प्रतिबंधित किया गया हो'' को भी लिया गया है।

पीड़ितों के मानव अधिकार के संरक्षण में आयोग द्वारा अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहायता प्राप्त करने के लिये प्राथमिक रूप से जिला स्तर पर एवं बाद में तहसील एवं ग्राम स्तर पर सलाहकार समितियों के गठन की प्रक्रिया अपनाने के उद्देश्य से जिला स्तर की सलाहकार समिति पीड़ितों के हितार्थ गठन की प्रक्रिया विनियमित की गई है जिसमें:-

''कलेक्टर जो समिति के अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक जो समिति के सदस्य, संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या अधिकृत राजपत्रित चिकित्सक, संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामांकित अधिवक्ता एवं संबंधित जिले के कलेक्टर के परामर्श से नामांकित एक समाजसेवी नागरिक, सदस्य होंगे।''

पीड़ितों के लिये गठित समिति अपने विवेक, स्वप्रेरणा से आवश्यकतानुसार समिति की बैठक आम सहमति से सदस्यों की सुविधानुसार आयोजन करेगी। इसमें पीड़ितों द्वारा लिखित, मौखिक रूप से संरक्षण एवं सहायता की मांग पर विचार कर कार्यवाही की जाती है।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग मित्र शिकायत प्रकोष्ठ संचालन स्कीम में राज्य के जिला, तहसील और विभिन्न महानगरों में आयोग मित्र समिति तथा जिला स्तर पर आयोग मित्रों का मनोनयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2017 तक राज्य के 44 जिलों में जिला संयोजक-आयोग मित्रों सहित कुल 163 आयोग मित्र मनोनीत किये गए हैं। ये आयोग मित्र आयोग के मानसेवी सहयोगी हैं।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2017-18 में माह मई-जून एवं जुलाई, 2017 एवं माह दिसम्बर, 2017 में इण्टर्नशिप के दो सत्रों का आयोजन किया गया। जिसमें देश के विभिन्न विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों के विधि विषय के विद्यार्थी, नियमित पढ़ाई करते हुये इण्टर्नशिप/प्रोजेक्ट वर्क के लिये आयोग में आये। इन सत्रों में 93 विद्यार्थियों ने भाग लेकर इण्टर्नशिप/प्रोजेक्ट कार्य सफलतापूर्वक किया।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अध्याय-3 में आयोग अपने कार्य एवं शक्तियों के निर्वहन के उद्देश्य से समय-समय पर कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करता है। साथ ही मासिक न्यूज लेटर एवं त्रैमासिक ''मानव अधिकार पत्रिका'' का प्रकाशन नियमित रूप से किया जा रहा है। इसके अलावा आयोग द्वारा विभिन्न विषयों पर लघु पुस्तिकाओं और पोस्टर्स भी प्रकाशित कराए जाते हैं।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आयोग स्थापना दिवस 13 सितम्बर, 2017 को ''मध्यप्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण की मानव अधिकार संरक्षण में प्रासंगिकता'' तथा अर्न्तराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसम्बर, 2017 को ''महिलाओं के अधिकार-मानवाधिकार हैं'' विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराये गए। इन कार्यक्रमों में राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकारणों का विशेष सहयोग रहा।

इस वर्ष 31 मई, 2017 को प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की गई। जिसका केन्द्रीय विषय ''मानव अधिकार एवं पुलिस'' था। इस कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे, कार्यक्रम के दौरान मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में प्रभावी भूमिका निभाने के लिये शासन के कई विभागों के अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया।

आयोग का बजट

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (माअप्र) मंत्रालय, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को वित्तीय वर्ष 2017 की अवधि के लिये राशि ₹585.00 लाख

(रुपये पांच करोड़ पिच्चासी लाख) का आवंटन हुआ है। इस आवंटन में से प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय किश्त के रूप में कुल राशि ₹4,09,50,000/- आयोग को अब तक प्राप्त हो चुकी है। आयोग द्वारा माह नवम्बर, 2017 तक राशि ₹542.19 लाख का व्यय किया जा चुका है। उक्त व्यय में पूर्व के अग्रिम राशि ₹106.56 लाख का समायोजन शामिल है।

प्रशासन एवं जनता में मानव अधिकारों के प्रति संवेदना जागृत हो, इस हेतु आयोग समय-समय पर आवश्यकता अनुसार सम्मेलन, कार्यशालाएं एवं सभाओं का विशेष आयोजन करता है। समाज के विभिन्न तबकों में मानव अधिकार साक्षरता को फैलाने हेतु प्रकाशन, प्रचार के माध्यम एवं अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से प्रयासरत् हैं। मानव अधिकरों की सुरक्षा के लिये उपलब्ध रक्षा के उपायों की जानकारी प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का सतत् प्रयास मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा किया जा रहा है।

4.10 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

नगरीय निकायों तथा पंचायतों को स्थानीय शासन की सक्षम एवं सशक्त इकाईयॉ बनाने के उद्देश्य से संविधान में तिहत्तरवें तथा चौहत्तरवें संशोधन किये गए हैं। इन इकाइयों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव निर्धारित समय पर कराने के लिए एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान इन संशोधनों में किया गया है। इन प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 01 फरवरी, 1994 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-243 के खण्ड (k) में की गई अपेक्षा के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 19-01/2006/1/4 दिनांक 17 सितम्बर, 2013 द्वारा श्री आर.परशुराम, सेवानिवृत, भा.प्र.से. (म.प्र. 1978) को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा दिनांक 01/10/2013 को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

आयोग के कार्य संचालन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-129/1999/1/4 दिनांक 30 जनवरी, 2014 द्वारा आयोग की पदस्थापना में स्वीकृत 70 अस्थाई पदों को स्थायी करने की सहमति प्रदान की गई है एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-40/2015/1/4 दिनांक 10/07/2015 द्वारा 24 स्थाई पदों का सृजन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-32/2004/1/4 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा मुख्यालय स्तर पर 21 अस्थाई पद तथा जिला स्तर पर लिए 255 अस्थाई पद इस प्रकार कुल 276 अस्थाई पदों को दिनांक 01/03/2018 से 28/02/2019 तक के लिए प्रर्वतित किया गया है।

आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने हेतु आयोग मुख्यालय का लोक सूचना अधिकारी उप सचिव को तथा अपीलीय अधिकारी सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को पदाभिहित किया गया है तथा जिला निर्वाचन कार्यालयों (स्थानीय निर्वाचन) में जिले में पदस्थ उप जिला निर्वाचन अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को अपीलीय अधिकारी पदाभिहित किया गया है।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 के अन्तर्गत आयोग के निम्नलिखित दायित्व है:-

1. पंचायत एवं नगरपालिका के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करना।
2. पंचायत एवं नगरपालिका के निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण।
3. इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-24 में संशोधन के फलस्वरूप अब किसी नगरपालिक निगम के महापौर अथवा किसी नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से वापस बुलाये जाने हेतु मतदान कराया जाता है। उक्त मतदान भी आयोग के दायित्वों में सम्मिलित किया गया है।
4. मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के उप सरपंच, जनपद पंचायत/जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित जानकारी

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2017 (पूर्वार्द्ध) के अंतर्गत माह अगस्त-2017 (प्रथम चरण) में निम्न पदों के निर्वाचन सम्पन्न कराये गए:

स.क्र.	पद	पदों की संख्या
1.	पंच, ग्राम पंचायत	912
2.	सरपंच, ग्राम पंचायत	84
3.	सदस्य, जनपद पंचायत	15
4.	सदस्य जिला पंचायत	03

उक्त निर्वाचन में जिला-सतना, दमोह, गुना, जबलपुर, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं बुरहानपुर के अंतर्गत आने वाली 22 ग्राम पंचायतों के आम निर्वाचन भी सम्मिलित है।

जिला पंचायत मण्डला के रिक्त अध्यक्ष पद का निर्वाचन दिनांक 28/08/2017 को सम्पन्न कराया गया।

जिला-सतना, दमोह, गुना, जबलपुर, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं बुरहानपुर के अंतर्गत आने वाली 22 ग्राम पंचायतों के उपसरपंचों का निर्वाचन दिनांक 28/08/2017 को सम्पन्न कराया गया।

जिला-बालाघाट की जनपद पंचायत बिरसा की ग्राम पंचायत कैन्डाटोला का आम निर्वाचन 2017 (पूर्वार्द्ध) द्वितीय चरण में माह सितम्बर-2017 में सम्पन्न कराया गया।

जिला बालाघाट की जनपद पंचायत बिरसा की ग्राम पंचायत कैन्डाटोला के उपसरपंच का निर्वाचन 20/09/2017 को सम्पन्न कराया गया।

जनपद पंचायत भिरवार जिला-ग्वालियर के रिक्त अध्यक्ष पद का निर्वाचन दिनांक 30/11/2017 को सम्पन्न कराया गया।

जनपद पंचायत भिण्ड जिला-भिण्ड के रिक्त अध्यक्ष पद का निर्वाचन दिनांक 08/01/2018 को सम्पन्न कराया गया।

जनपद पंचायत मनावर एवं नालछा जिला-धार, के रिक्त अध्यक्ष पद का निर्वाचन दिनांक 08/01/2018 को सम्पन्न कराया गया।

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम उप निर्वाचन-2017 (उत्तरार्द्ध) के अंतर्गत माह जनवरी, 2018 में निम्न पदों के निर्वाचन सम्पन्न कराये गए:

स.क्र.	**पद**	**पदों की संख्या**
1.	पंच, ग्राम पंचायत	2988
2.	सरपंच, ग्राम पंचायत	143
3.	सदस्य, जनपद पंचायत	17
4.	सदस्य, जिला पंचायत	03

उप निर्वाचन में जिला-सीधी की 56, सिंगरौली की 22 एवं इन्दौर की 03 इस प्रकार कुल 81 ग्राम पंचायतों के आम निर्वाचन भी सम्मिलित है।

जिला-सीधी की 56, सिंगरौली की 22 एवं इन्दौर की 03 इस प्रकार कुल 81 ग्राम पंचायतों के उपसरपंचों का निर्वाचन दिनांक 01/02/2018 को सम्पन्न कराया गया।

आयोग द्वारा निर्वाचन हेतु सहज एवं सरल ऑनलाईन प्रक्रिया IEMS(Integrated Election Management System) OLIN (Online Nomination) जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल ऑफिसर के लिए मार्गदर्शिका माह दिसम्बर, 2017 में जारी की गई।

आयोग द्वारा ऑनलाईन नामनिर्देशन (OLIN) पंचायत निर्वाचन अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका माह सितम्बर, 2017 में जारी की गई । OLIN से अभ्यर्थी दिन-रात कभी भी नाम निर्देशन पत्र तैयार कर सकते है। सहज एवं सरल पारदर्शी प्रक्रिया से त्रुटिरहित नाम निर्देशन पत्र तैयार करने की सुविधा अभ्यर्थियों को मिलेगी। ओवरराईटिंग और अपठनीयता की वजह से नाम निर्देशन पत्र निरस्त होने की आशंका समाप्त होगी।

आयोग द्वारा वर्ष 2018 में ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों एवं दावे/आपत्तियां प्राप्त करना/अपील करने हेतु पुराने प्रारूप क, ख, ग एवं घ को परिवर्तित कर नवीन प्रारूप ER1, ER2, ER3, एवं ER4, A4 साईज में तैयार किये गए है।

IEMS में मतों की गणना की प्रविष्टि करने के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2018 को आयोजित ऑनलाईन हैण्डसऑन ट्रेनिंग पंचायत आम एवं उप निर्वाचन-2017(उत्तरार्द्ध) हेतु समस्त जिलों के रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग अधिकारी/मतगणना में नियुक्त नोडल अधिकारी (आईटी)/ डाटा एन्ट्री आपरेटर को प्रातः 11:00 बजे से ऑनलाईन व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। ऑनलाईन व्यवहारिक प्रशिक्षण संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मुख्यालय पर उपस्थित रहकर प्राप्त किया गया।

पंचायत आम/उप निर्वाचन-2017(उत्तरार्द्ध) में सरपंच पदों के लिए अभ्यर्थियों के शपथपत्र की जानकारी का सार पत्रक फ्लैक्स द्वारा मतदान केन्द्रों पर प्रदर्शित किये जाने का निर्णय लिया गया।

नगरीय निकायों के निर्वाचन से संबंधित जानकारी

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2017 में माह जनवरी में नगरपालिका परिषद् हरदा जिला हरदा में 01 अध्यक्ष तथा 35 पार्षदों, नगर परिषद् माण्डव जिला धार में 01 तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् अमरकंटक जिला अनूपपुर में 01 तथा 15 पार्षदों नगरपालिका परिषद् पसान जिला अनूपपुर में 01 अध्यक्ष तथा 18 पार्षदों इस प्रकार कुल 04 अध्यक्ष तथा 83 पार्षदों के निर्वाचन सम्पन्न कराये गए।

माह अगस्त 2017(पूर्वार्द्ध) में 02 नगरपालिका परिषदों में 02 अध्यक्ष, 02 नगर परिषद्ों में 02 अध्यक्ष कुल 04 अध्यक्ष तथा 11 पार्षदों के निर्वाचन संपन्न कराये गए है।

माह अगस्त 2017 में नगरपालिका परिषद् गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने, नगर परिषद् शमशाबाद जिला विदिशा के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने का निर्वाचन सम्पन्न कराया गया है।

माह अगस्त 2017 में नगरपालिका परिषद् नेपानगर जिला बुरहानपुर के आम निर्वाचन में 01 अध्यक्ष तथा 24 पार्षदों, नगरपालिका परिषद् बिजूरी जिला अनूपपुर में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगरपालिका परिषद् कोतमा जिला अनूपपुर में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् सैलाना जिला रतलाम में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगरपालिका परिषद् पाली जिला उमरिया में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् शहपुरा जिला डिण्डौरी में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् डिण्डौरी जिला डिण्डौरी में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगरपालिका परिषद् मण्डला जिला मण्डला में 01 अध्यक्ष तथा 24 पार्षदों, नगरपालिका परिषद् नैनपुर जिला मण्डला में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् निवास जिला मण्डला में 01 अध्यक्ष तथा 13 पार्षदों, नगर परिषद् बम्हनीबंजर जिला मण्डला में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् बिछिया जिला मण्डला में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों में नगरपालिका परिषद् सारणी जिला बैतूल में 01 अध्यक्ष तथा 36 पार्षदों,

नगर परिषद् आठनेर जिला बैतूल में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् चिचौली जिला बैतूल में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् छनेरा जिला खण्डवा में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् भीकनगांव जिला खरगोन में 1 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् महेश्वर जिला खरगोन में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् मण्डलेश्वर जिला खरगोन में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगरपालिका परिषद् जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा में 01 अध्यक्ष तथा 18 पार्षदों, नगरपालिका परिषद् सौंसर जिला छिन्दवाड़ा में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगरपालिका परिषद् पान्ढुरना जिला छिन्दवाड़ा में 01 अध्यक्ष तथा 30 पार्षदों नगरपालिका परिषद् दमुआ जिला छिन्दवाड़ा में 01 अध्यक्ष तथा 18 पार्षदों, नगर परिषद् हर्रई जिला छिन्दवाड़ा 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् मोहगांव हवेली जिला छिन्दवाड़ा में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् लखनादौन जिला सिवनी में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् बैहर जिला बालाघाट में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगरपालिका परिषद् शहडोल जिला शहडोल में 01 अध्यक्ष तथा 39 पार्षदों, नगर परिषद् बुढ़ार जिला शहडोल में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों,नगर परिषद् जयसिंहनगर जिला शहडोल में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगरपालिका परिषद् झाबुआ जिला झाबुआ में 01 अध्यक्ष तथा 18 पार्षदों, नगर परिषद् रानापुर जिला झाबुआ में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् थांदला जिला झाबुआ में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् पेटलावद जिला झाबुआ में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगरपालिका परिषद् अलीराजपुर जिला अलीराजपुर में 01 अध्यक्ष तथा 18 पार्षदों, नगर परिषद् जोबट जिला अलीराजपुर में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् चन्द्रशेखर आजादनगर जिला अलीराजपुर में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, के आम निर्वाचन सम्पन्न कराये गए। इस प्रकार कुल 37 अध्यक्ष तथा 643 पार्षदों के निर्वाचन सम्पन्न कराये गए।

माह नवम्बर 2017 में नगरपालिका परिषद् सबलगढ़ जिला मुरैना के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने का निर्वाचन सम्पन्न कराया गया है।

माह दिसम्बर 2017 में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन सम्पन्न कराये गए। जिला धार में नगरपालिका परिषद् धार में 01 अध्यक्ष तथा 30 पार्षदों, नगरपालिका परिषद् मनावर में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् सरदारपुर में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् राजगढ़ में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् धरमपुरी में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद धामनोद में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद कुक्षी में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् डही में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगरपालिका परिषद् पीथमपुर में 01 अध्यक्ष तथा 31 पार्षदों जिला बड़वानी में नगरपालिका परिषद् सेंधवा में 01 अध्यक्ष तथा 24 पार्षदों, नगरपालिका परिषद् बड़वानी में 01 अध्यक्ष तथा 24 पार्षदों, नगर परिषद पानसेमल में 01 अध्यक्ष 15 पार्षदों, नगर परिषद खेतिया में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् पलसूद में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् अंजड़ में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद् राजपुर में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगर परिषद ओंकारेश्वर जिला खण्डवा में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, नगरपालिका परिषद् राघौगढ़ जिला गुना में 01 अध्यक्ष तथा 24 पार्षदों, नगर परिषद जैतहरी जिला

अनूपपुर में 01 अध्यक्ष तथा 15 पार्षदों, के आम निर्वाचन सम्पन्न कराये गए, इस प्रकार कुल 19 अध्यक्ष तथा 343 पार्षदों के आम निर्वाचन सम्पन्न कराये गए है।

नगर परिषद अकोड़ा जिला भिण्ड़, नगर परिषद् करनावद जिला देवास तथा नगर परिषद् खिलचीपुर जिला राजगढ़ के अध्यक्षों को पद से वापस बुलाये जाने का निर्वाचन माह दिसम्बर 2017 में सम्पन्न कराये गए है।

नगर परिषद् सेमरिया जिला रीवा के अध्यक्ष पद का उप निर्वाचन माह दिसम्बर 2017 में सम्पन्न कराया गया है। (मतगणना माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश अनुसार रोकी गई है।)

नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2017 (उत्तरार्द्ध) में कुल 13 पार्षदों के उप निर्वाचन सम्पन्न कराये गए है।

उक्त नगरीय निकायों के आम उप निर्वाचन 2017(उत्तरार्द्ध) एवं अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने के निर्वाचन वर्ष 2017 में कुल अध्यक्ष पद के लिए 71 तथा 1093 पार्षद पदों के निर्वाचन सम्पन्न कराये गए है।

नियमों अधिनियमों में संशोधन

म. प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 18 अध्यक्ष (स्पीकर) का निर्वाचन एवं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा पदावधि संशोधन प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

म.प्र. स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 में नियम 14(च) के पश्चात् 14(छ) जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है। नियम 14(छ) में यह प्रावधान रहेगा कि ''किसी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर उसे कारावास या जुर्माने का दण्ड दिया जावेगा।''

म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 में नोटा का प्रावधान हेतु (कतिपय नियमों/प्रपत्रों में संशोधन) प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

नगरीय निकायों के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों हेतु आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा रखे जाने के लिए छाया प्रेक्षण पंजी (Shadow Observation Register) का प्रारूप तैयार कर जिलों को भेजा गया है।

म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के अध्याय-9 के पश्चात् अध्याय-10 महापौर/अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा संधारण एवं प्रस्तुति जोड़े जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

नगरीय निकायों के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र में शौचालय संबंधी जानकारी अंकित करने का प्रावधान जोड़ा गया है।

नगरीय निकायों के निर्वाचन में मतदान करने के लिए कारखानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को 02 घण्टे के स्थान पर 04-04 घण्टे अनुपस्थिति/अवकाश की सुविधा दिये जाने हेतु निर्देश कलेक्टरों को दिये गए है।

नगरीय निकायों के निर्वाचन में मतदाताओं को शत् प्रतिशत मतदाता पर्ची वितरण किये जाने के लिए निर्देश कलेक्टरों को दिये गए है।

नगरीय निकायों के निर्वाचनों में निम्न प्रावधान जोड़ा गया है:-

''मतदान दिवस की पूर्व संध्या से मतदान दिनांक को सम्मिलित करते हुए ऐसे व्यक्तियों को क्षेत्र से बाहर करना जो मतदाता नहीं हो। इस आदेश को जारी करते समय विभिन्न छूट जैसे बीमार व्यक्ति, दूध या अन्य दैनिक उपभोग की सामग्री लाने वाले इत्यादि के संबंध में दी जा सकती है।''

ई.व्ही.एम. संबंधी जानकारी

1. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ई.सी.आई.एल., हैदराबाद से 54,000 कंट्रोल यूनिट एवं 1,59,360 बैलेट यूनिट का क्रय किया गया है। ई.सी.आई.एल. भारत सरकार के परमाणु उर्जा विभाग का सार्वजनिक उपक्रम है।
2. इस ई.व्ही.एम. से एक साथ आठ पदों का निर्वाचन किया जा सकता है। इस कारण यह बहुपद एवं बहुस्थान (Multipost and Multiseat) के निर्वाचन हेतु उपयोग में लाया जाने वाली ई.व्ही.एम. है।
3. आयोग द्वारा वर्ष 2014-15 से नगरीय निकायों में महापौर/अध्यक्ष और पार्षद तथा पंचायतों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच पद के निर्वाचन ईव्हीएम के माध्यम से सफलतापूर्वक सम्पन्न कराए जा रहे है । इसी भांति वर्ष 2017 से नगरीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष को पद से वापस बुलाए जाने (Recall) संबंधी निर्वाचनों में भी ईव्हीएम का उपयोग सुनिश्चित किया गया है।
4. आयोग द्वारा उपयोग किए जा रहे ई.व्ही.एम. लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन हेतु उपयोग की जा रही ई.व्ही.एम. से पूर्णतः पृथक है। इसकी सबसे बडी विशेषता डिटेचेबल मेमोरी मोड्यूल (डी.एम.एम.) है।
5. प्रत्येक निर्वाचन के बाद कंट्रोल यूनिट में से डीएमएम निकालकर सील करने की कार्यवाही की जाएगी तथा नया डीएमएम लगाकर उसे अगले निर्वाचन के चरण हेतु उपयोग में लिया जाएगा।
6. इस मशीन की निम्नलिखित अन्य विशषताएं भी है:-
    - यूनिक/अद्वितीय क्रम संख्या
    - रियल टाइम क्लॉक (आर.टी.सी.)
    - समय मुद्रांकन

- टाईम लॉगिंग
- अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले
- वार्ड क्रमांक एवं मतदान केन्द्रों का क्रमांक
- टैंपर संसूचक
- लेजर मार्किंग
- पी.सी.बी. का संस्थापन
- पॉटिंग
- बैटरी पॉवर स्टैटस
- प्रिंट
- ब्रैली

सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नानुसार ऑनलाईन एप्लिकेशन्स को इनहाऊस निर्मित कर कार्य किया जा रहा है :-

1. OLIN (Online Nomination): इस एप्लिकेशन के माध्यम से नगर पालिका और पंचायत निर्वाचन में उम्मीदवारों को ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र तैयार करने की सुविधा दी गई है। OLIN से सहज, सरल और पारदर्शी तरीके से उम्मीदवारों को त्रुटिहीन नामनिर्देशन दाखिल करने की सुविधा मिली है। OLIN के माध्यम से ही निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथपत्र (शैक्षणिक योग्यता, चल-अचल सम्पत्ति, आपराधिक प्रकरण आदि) का तुलनात्मक सारपत्रक तैयार कर मतदान केन्द्र पर फ्लैक्स बनाकर लगाया जा रहा है, जिससे मतदाताओं को अपने अभ्यर्थियों के बारे में जानने का मौका मिलता है।

2. IEMS (Integrated Election Management System): इस एप्लिकेशन में निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने से लेकर निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक की समस्त कार्यवाहियाँ जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ऑनलाईन एक ही प्लेटफार्म पर की जाती है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया सहज एवं सरल हुई है और सूचनाओं का संप्रेषण तीव्र हुआ है।

3. IPIS (Integrated Poll Information System): इस एप्लिकेशन में मतदान संबंधी जानकारियां (मतदान दल की रवानगी, मॉकपोल, मतदान प्रतिशत् आदि)

पीठासीन अधिकारी से सीधे SMS के माध्यम से प्राप्त की जाती है। IPIS ने सूचना संप्रेषण को सरल, तीव्र और शुद्ध किया है।

4. ETM (EVM Tracking & Management System): इस एप्लिकेशन से ईव्हीएम से सम्बंधित प्रक्रियाएँ (एफएलसी, रेण्डमाईजेशन, कमीशनिंग आदि) की जाती है। ETM का प्रयोग करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।

5. "CHUNAV" Mobile App: आयोग ने चुनाव एप बनाया है। एप के माध्यम से मतदाताओं को चुनाव सम्बंधी जानकारियाँ (मतदान केन्द्र, उम्मीदवार, चुनाव परिणाम, शपथपत्र, मतदाता सूची आदि) प्रदाय की जाती है। एप से मतदाता को ई-मतदाता पर्ची डाउनलोड करने की भी सुविधा दी गई है। ई-मतदाता पर्ची का उपयोग मतदान में वोटर की पहचान के लिए अनुज्ञेय किया गया है।

6. GIS Portal: आयोग द्वारा नगरपालिकाओं के वार्डो की सीमाओं के साथ साथ मतदान केन्द्र और मतदाताओं के घरों को जीआईएस मेप पर टैग किया गया है, इससे मतदाताओं, मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण सम्भव हुआ है। GIS Portal से चुनाव एप को लिंक कर मतदाता को मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए नेविगेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

7. MMS (Material Management System): इस एप्लिकेशन से लगभग 320 प्रकार की निर्वाचन सामग्री का ऑनलाईन प्रबंधन किया गया है। जिलों से ऑनलाईन मांग प्राप्त की जाती है और मांग अनुसार सामग्री स्पीडपोस्ट से जिलों को भेजी जाती है। मतदान सामग्री के लिए जिलों से टीमें आयोग मुख्यालय पर बार बार आने की दुविधा से मुक्ति मिली है और निर्वाचन सामग्री प्रबंधन के व्यय में उल्लेखनीय मितव्ययिता हुई है।

8. Budget Management System: इस एप्लिकेशन से जिला ऑनलाईन वित्तीय मांग प्रेषित करते है और उन्हें ऑनलाईन ही आवंटन उपलब्ध कराया जाता है।

9. LMS (Letter Monitorring System): इस ऑनलाईन एप्लिकेशन में आयोग को प्राप्त होने वाली समस्त डाक को दर्ज कर समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाता है। LMS से प्रकरणों की सूक्ष्म समीक्षा बहुत आसान हो गई है।

10. Court Case Management System और Record Room Management System एप्लिकेशन से सम्बंधित क्षेत्रों का काम ऑनलाईन सम्पादित किया जाता है।

11. **परम्परागत निर्वाचन प्रक्रिया में बदलावः** लिफाफों की संख्या 32 से घटाकर मात्र 04 कर दी गई है, जिससे करोड़ों रुपये की बचत होने की सम्भावना बनी है। निर्वाचन सामग्री को युक्तियुक्त किया जा रहा है, जिससे पीठासीन अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, गणना पर्यवेक्षक और रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर निर्वाचन प्रक्रिया सहज और सरल हो जायेगी।

सामग्री प्रबंधन से संबंधित जानकारी

आयोग द्वारा वर्ष 2015 के उत्तारार्द्ध में संपन्न हुए नगरीय/पंचायतों के आम/उप निर्वाचन में नवाचार के तौर पर पूर्व से प्रचलित 32 प्रकार के लिफाफों की संख्या को कम करते हुए नीले/पीले रंग के फाईल फोल्डर एवं मात्र 5 प्रकार के लिफाफों का प्रयोग किया गया।

उक्त पायलेट प्रोजेक्ट अत्यधिक सफल रहा। उपरोक्त नवाचार से पीठासीन अधिकारियों के निर्वाचन कार्य काफी सरल हो गए है। आयोग द्वारा इस नवाचार को राज्य निर्वाचन आयुक्तों की हनुवंतिया में आयोजित कॉन्फ्रेंस में भी प्रदर्शित किया गया जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना हुई तथा कई राज्यों द्वारा इस नवाचार को अपने यहां भी लागू करने में रूचि दिखाई गई है।

जिलों से प्राप्त फीडबैक एवं प्रयोग के सफल होने से आयोग द्वारा आगामी समस्त निर्वाचनों में लिफाफों के स्थान पर फाईल/फोल्डर का उपयोग करने का निर्णय लिया गया तथा वर्ष 2016 में संपन्न हुए समस्त निर्वाचनों में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। इस नवाचार के फलस्वरूप 32 प्रकार के लिफाफों की छपाई की कमी होने से प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना पाई गई है।

आयोग द्वारा निर्वाचन में उपयोग की जाने वाली सामग्री का वर्तमान संदर्भ में युक्ति युक्तकरण किया जा रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित परिर्वधन, विलोपन, संशोधन और अपील के नये प्रारूप तैयार किये गए है, जो एक बुकलेट के रूप में प्राधिकृत कर्मचारी को दिये जायेगें।

मतदान केन्द्र पर उपयोग किये जाने वाले प्रारूपों, प्रपत्रों एवं परिशिष्टों की एक संशोधित बुकलेट तैयार की गई है, जिसमें लगभग 20 दस्तावेजों को समेकित किया गया है, इससे मतदान दल को वापस करने में आसानी होगी।

निर्वाचन सामग्री प्रबंधन के लिये एक ऑन लाईन एप्लीकेशन बनाई गई है, जिलों से निर्वाचन सामग्री भी आन लाईन मांग प्राप्त की जाती है और निर्वाचन सामग्री स्पीड पोस्ट से जिलों को भेजी जाती है। इस व्यवस्था से जिलों से निर्वाचन सामग्री प्राप्त करने के लिये

भोपाल आने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। जिससे व्यय में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है।

सेंस के संबंध में

नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2017-2018 में आयोग द्वारा सेंस से संबंधित निम्नांकित गतिविधियां सम्पन्न कराई गईः-

1. जिले के महाविद्यालयों में परिसर दूत की नियुक्ति।
2. जिले की एवं जनपद पंचायत की साधारण सभा की बैठकों, समस्त नगरीय निकायों की साधारण सभा की बैठकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, अनुसूचित बैंकों की बैठकों में ई.व्ही.एम. का प्रदर्शन।
3. मिडिया एवं अन्य प्रचार माध्यमों की गतिविधियों की बैठकें।
4. जिला स्तर पर राजनैतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठकों का आयोजन एवं जानकारी का प्रदाय।
5. सिविल सोसायटी संगठनों व निजी प्रतिष्ठानों की बैठकों का आयोजन एवं जानकारी का प्रदाय।
6. महाविद्यालयों, स्कूलों, कार्यालयों, हाट-बाजारों में ईव्हीएम का प्रदर्शन।
7. आनलाईन नामनिर्देश (OLIN) का प्रचार-प्रसार।
8. चुनाव मोबाईल एक का प्रचार-प्रसार।

4.11 प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय एकता समिति

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 16 जून, 2016 द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव एवं श्री रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार को राष्ट्रीय एकता समिति का उपाध्यक्ष मनोनित किया गया है।

4.12 राज्य सत्कार कार्यालय

मध्यप्रदेश में राज्य अतिथियों के भ्रमण कार्यक्रम अनुसार उनके स्वागत, विदाई, आवास, परिवहन, भोजन एवं सुरक्षा आदि समस्त प्रोटोकाल का पालन करने हेतु आधुनिक सूचना तकनीक का इस्तेमाल करते हुये पारदर्शी सिस्टम का विकास राज्य शिष्टाचार अधिकारी द्वारा किया गया है। राज्य अतिथि ऑनलाइन सिस्टम की विशेषताऐं निम्नानुसार हैं:-

1. राज्य अतिथि ऑनलाइन सिस्टम लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है।
2. राज्य अतिथि ऑनलाइन सिस्टम का अनुसरण छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिये छत्तीसगढ़ शासन एवं उनके समस्त जिला प्रोटोकाल अधिकारियों के

समक्ष प्रस्तुतीकरण भी किया गया है। उक्त राज्य अतिथि ऑनलाइन सिस्टम की सराहना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है।

3. राज्य अतिथि ऑनलाईन सिस्टम का अनुसरण महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी किया जा रहा है जिसके लिए राज्य शिष्टाचार अधिकारी द्वारा उनके अनुरूप सिस्टम तैयार कर उपलब्ध कराया गया है।

4. राज्य अतिथि पंजीयन - मध्यप्रदेश में भ्रमण पर आने वाले राज्य अतिथि द्वारा भ्रमण कार्यक्रम कहीं से एवं किसी भी समय राज्य सत्कार कार्यालय की वेबसाइट www.stateprotcol.mp.gov.in पर भरा जा सकता है।

5. राज्य सत्कार कार्यालय की वेबसाइट www.stateprotcol.mp.gov.in पर प्रथम बार भ्रमण कार्यक्रम फीड करने हेतु यूजर रजिस्ट्रेशन कर पासवर्ड प्राप्त करना होगा।

6. राज्य सत्कार कार्यालय द्वारा राज्य अतिथि की श्रेणी एवं सुरक्षा श्रेणी अनुसार अतिथि घोषित करने संबंधी अप्रुवल प्रदान करने पर आदेश तैयार हो जायेगा।

7. राज्य अतिथि घोषित करने संबंधी आदेश संबंधित राज्य अतिथि/ संभाग आयुक्त/ कलेक्टर/ जिला प्रोटोकाल अधिकारी/ राज्य सत्कार कार्यालय को तत्काल ई-मेल पर प्राप्त होगा।

8. राज्य अतिथि के आवास/ परिवहन व्यवस्थाओं यथा रूकने के स्थान का पूरा विवरण कक्ष क्रमांक सहित, वाहन क्रमांक/प्रकार, वाहन चालक का नाम/ दूरभाष क्रमांक इत्यादि की जानकारी राज्य अतिथि को वेब साइट के माध्यम से उनके यूजर रजिस्ट्रेशन/पासवर्ड से ज्ञात हो सकेगी।

9. **प्रोटोकाल मेन्युअल** - राज्य सत्कार कार्यालय की वेब साइट पर प्रोटोकाल मेन्युअल की लिंक में सत्कार व्यवस्था से संबंधित सभी आदेश उपलब्ध रहेंगे।

10. **संचार** - सत्कार व्यवस्था से संबंधित समस्त कलेक्टर/जिला प्रोटोकाल अधिकारी/ स्टेट प्रोटोकाल कार्यालय के सभी अधिकारियों के अद्यतन दूरभाष क्रमांक/मोबाइल नम्बर उपलब्ध रहेंगे।

11. **एसएमएस अलर्ट** - वेब साइट के माध्यम से राज्य अतिथि के जिले में आगमन के पूर्व राज्य शिष्टाचार अधिकारी/संबंधित कलेक्टर/ जिला प्रोटोकाल अधिकारी को राज्य अतिथि के भ्रमण की जानकारी प्राप्त होगी, जिससे राज्य अतिथि की सत्कार व्यवस्था में कोई चूक न हो।

12. **डेली विजिटर्स लिस्ट** - वेब साइट के होम पेज पर प्रदेश में भ्रमण पर आने वाले राज्य अतिथियों की सूची प्रतिदिन वेब साइट पर आम जनता की जानकारी हेतु उपलब्ध रहेगी।

13. **सिक्युरिटी ऑडिट** - महत्वपूर्ण वीआईपी एवं वीवीआईपी के कार्यक्रमों/ व्यवस्थाओं की पूर्ण गोपनीय एवं सुरक्षा हेतु वेब साइट का सिक्युरिटी ऑडिट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से कराया गया है।

14. **व्ययों की स्वीकृति** - राज्य अतिथि के आवास, परिवहन, भोजन आदि पर होने वाले व्ययों की स्वीकृति संबंधी आदेश तथा भुगतान संबंधी विवरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध कम्प्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से जारी किये जा सकेगें।

15. **राज्य अतिथियों की सूची** - वेबसाइट एवं विकसित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरे वर्ष भर प्रदेश में पधारने वाले राज्य अतिथियों से संबंधित व्यवस्था एवं हुये व्यय का संपूर्ण विवरण एक क्लिक पर राज्य सत्कार कार्यालय में उपलब्ध रहेगा, जिससे राज्य अतिथियों की सत्कार व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता रहेगी।

- **प्रदेश में सत्कार व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण**
- **मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम में संशोधन** - मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम 1958 में व्यापक संशोधन किया जाकर मध्यप्रदेश राज्य अतिथि नियम, 2011 का प्रकाशित किया गया है। मुख्य संशोधन राज्य अतिथियों का सूची-अ एवं ब में वर्गीकरण, शासकीय एवं अशासकीय प्रवास, अवधि, सुरक्षा, वाहन व्यवस्था, आवास व्यवस्था एवं संचार व्यवस्था में किया गया है।

- **सुरक्षा व्यवस्था** - प्रदेश में राज्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों के भ्रमण पर सुरक्षा, पायलट एवं फालो संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट करते हुये विस्तृत निर्देश गृह विभाग द्वारा जारी किये गए।

- **परिवहन व्यवस्था** - राज्य अतिथियों एवं मध्यप्रदेश के वीआईपी एवं वीवीआईपी के सत्कार व्यवस्था हेतु शासकीय वाहनों का अधिग्रहण प्रतिबंधित किया जाकर परिवहन व्यवस्था हेतु निजी ट्रेवल एजेंसियों के माध्यम से किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गए हैं।

- **विशिष्ट अतिथियों की सत्कार व्यवस्था** - विशिष्ट अतिथि यथा - माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशगण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारी एवं उच्च सुरक्षा प्राप्त महानुभावों के सत्कार, अगवानी एवं विदाई, आवास, परिवहन, भोजन आदि की व्यवस्था की प्रक्रिया का निर्धारण कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गए। इस व्यवस्था पर व्यय हेतु प्रदेश में पहली बार प्रत्येक जिले को **आतिथ्य पर व्यय** लेखाशीर्ष में ₹2.99 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया गया है।

- **जिला प्रोटोकाल अधिकारी** - प्रदेश के प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को पदेन जिला प्रोटोकाल अधिकारी तथा इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में संयुक्त कलेक्टर को जिला प्रोटोकाल अधिकारी नामित किया गया है।

- **सत्कार शाखा** - प्रदेश के प्रत्येक जिले में कलेक्ट्रेट में सत्कार शाखा गठित किये जाने एवं सत्कार शाखा में अमले की व्यवस्था संबंधी आदेश जारी किया गया है।

- **मोबाइल पर व्यय की प्रतिपूर्ति** - प्रदेश के समस्त जिला प्रोटोकाल अधिकारी को मोबाइल पर व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

- **आवश्यक संसाधन** - प्रदेश के प्रत्येक जिले में गठित सत्कार शाखा को टेलीफोन, कम्प्यूटर मल्टीफंक्शनल प्रिन्टर मय फैक्स, कम्प्यूटर हेतु बजट आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

- **वाहन व्यवस्था** - इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन में जिला प्रोटोकाल अधिकारी को किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबंधी आदेश जारी किया गया है।

- **ई-मेल एड्रेस** - प्रदेश के सभी जिला प्रोटोकाल अधिकारियों का ई-मेल खाता एनआईसी पर खोला जाकर सूचनाओं का आदान प्रदान ई-मेल के माध्यम से किया गया।

- **मध्यप्रदेश ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस (पूर्वताक्रम) - 2011** - मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेन्स, 1964 का केन्द्रीय एवं अन्य राज्यों के ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेन्स के अनुरूप बनाने तथा नवीन पदों/कार्यालयों के सृजन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश का नवीन ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेन्स, 2011 प्रकाशित किया गया है।

- **वी.वी.आई.पी. अतिथियों का आगमन** - प्रदेश में माह अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2017 की अवधि तक माननीय राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री भारत एवं अन्य विदेशी गणमान्य अतिथियों सहित कुल 1010 अतिथियों का आगमन हुआ।

भाग - दो

5. बजट

5.1 मांग संख्या - 01

सामान्य प्रशासन विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों/स्थापनाओं के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए आवश्यक धन राशि का अनुमान

(राशि हजारों में)

क्र.	विषय	मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	प्रावधानित राशि	प्रथम अनुपूरक	द्वितीय अनुपूरक
1.	राज्यपाल सचिवालय	1	2012	मतदेय - 65,00 भारित - 10,11,53	मतदेय - 5,00 भारित - 92,50	-
2.	मंत्रि परिषद के सदस्यों का वेतन एवं पेट्रोल, अन्य व्यय एवं स्वेच्छानुदान	1	2013	मतदेय - 1,00,54,49	मतदेय - 4,82,50	मतदेय - 70,00,00
3.	राज्य निर्वाचन आयोग	1	2015	मतदेय - 37,12,60 भारित - 10,00	-	-
4.	लोक सेवा आयोग	1	2051	भारित - 41,10,92	-	-
5.	सचिवालय सामान्य सेवाएं/ जन शिकायत निवारण/ राज्य मंत्रालय के पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता/ सार्वजनिक उपक्रम विभाग सूचना प्रोद्योगिकी, आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली, विशेष आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	1	2052	मतदेय - 1,13,15,21 भारित -1,00	मतदेय - 5,50,00	मतदेय - 1,20,00
6.	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सूचना प्रौद्योगिकी कार्य	1	2055	मतदेय - 21,98,54 भारित - 1,00	-	-
7.	आयुक्त म.प्र.भवन/ मुख्य तकनीकी परीक्षक	1	2059	मतदेय - 8,54,53	-	-

क्र.	विषय	मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	प्रावधानित राशि	प्रथम अनुपूरक	द्वितीय अनुपूरक
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं - प्रशासन अकादमी/ लोकायुक्त कार्यालय/ विभागीय जांच आयोग	1	2070	मतदेय - 49,38,99	-	मतदेय - 43,00
9.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (इंदिरा गांधी सौहार्द पुरस्कार योजना)	1	2235	मतदेय - 1,00	-	-
10.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	1	2251	मतदेय - 31,99,88	-	-
11.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	1	3451	मतदेय - 22,57,75	-	-
12.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय लोक सेवा केन्द्रो का निर्माण एवं मध्यांचल भवन का निर्माण प्रशासन अकादमी एवं राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो	1	4059	मतदेय - 24,70,22	मतदेय - 3,65,76	मतदेय - 21,15,15
	मांग संख्या - 01 योग			**मतदेय - 4,10,68,21** **भारित - 51,34,45**	**मतदेय - 14,03,26** **भारित - 92,50**	**मतदेय - 92,78,15**

बजट

5.2 मांग संख्या - 02

(राशि हजारों में)

क्र.	विषय	मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	प्रावधानित राशि	प्रथम अनुपूरक	द्वितीय अनुपूरक
1.	सचिवालय सामान्य सेवाएं, (अन्य कार्यालय)	2	2052	मतदेय - 6,50,00	-	-
2.	जिला प्रशासन (गणमान्य व्यक्तियों का भ्रमण)	2	2053	मतदेय - 10,00	-	मतदेय - 1,20,00
3.	विशेष जांच आयोग/सरदार सरोवर परियोजना/ सत्कार कार्यालय एवं राज्य सूचना आयोग	2	2070	मतदेय - 13,35,07	-	-
4.	विविध सामान्य सेवाएं (राजाओं के संबंधितों के सेवकों को भत्ते)	2	2075	मतदेय - 0	-	-
5.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना/ लोक नायक जय प्रकाश सम्मान निधि/ दुर्घटना में मृतकों के परिवार को सहायता)	2	2235	मतदेय - 1,11,12,00	-	-
6.	अन्य सामाजिक सेवाएं (अन्य संस्थाओं को अनुदान/ मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार)	2	2250	मतदेय - 25,00	-	मतदेय - 2,41,00
	मांग संख्या - 02 योग			**मतदेय - 1,31,32,07** **भारित - 0**	-	**मतदेय - 3,61,00**

भाग - तीन

6. राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

1. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन योजनायें

(1) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्न कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण योजनायें संचालित हैं:-

(अ) भोपाल प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मुख्यालय भोपाल प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य की कुल योजना लागत राशि ₹7,51,11,234/- है। इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि ₹75.03 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें से सीमेंट, कांक्रीट, पेवर ब्लॉक एवं केबिन पार्टीशन कार्य हेतु राशि ₹4,00,500/- लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में प्रकोष्ठ मुख्यालय, नवीन प्रशासनिक भवन में स्थापित होकर कार्य कर रहा है। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु लोक निर्माण विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है।

(ब) प्रकोष्ठ इकाई, ग्वालियर कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण कार्य

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई, ग्वालियर कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण योजना की कुल लागत राशि ₹2,65,26,475/- है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना की शेष राशि ₹17.66 लाख लोक निर्माण विभाग के मांगपत्र अनुसार उपलब्ध कराई गई है। इस योजना में लोक निर्माण विभाग द्वारा राशि ₹2.82 लाख योजना की लागत राशि से अधिक व्यय की गई है, तत्संबंध में परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग द्वारा लेख किया गया है कि ''प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से 10 प्रतिशत अधिक्य के भीतर (1.06 प्रतिशत) राशि ₹2.82 लाख भुगतान की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदाय की जाती है कि उक्त शेष अतिरिक्त आवंटन उपरांत कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा। पूर्णतः लागत 10 प्रतिशत से अधिक होने की दशा में यह स्वीकृति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी''। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु लोक निर्माण विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है।

(स) प्रकोष्ठ इकाई, रीवा कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण कार्य

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई रीवा कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण योजना की कुल लागत राशि ₹9,90,00,000/- है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि ₹300.00 लाख (तीन करोड़ रुपये मात्र) का बजट आवंटन प्राप्त हुआ है। प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित

किया गया है। शासन से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही यह योजना प्रारंभ हो सकेगी।

(द) प्रकोष्ठ इकाई, जबलपुर कार्यालय भवन निर्माण कार्य

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर कार्यालय भवन निर्माण कार्य योजना की कुल लागत राशि ₹3,16,62,000/- है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि ₹34.40 लाख का बजट आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें से योजना की शेष राशि ₹14.09 लाख लोक निर्माण विभाग से प्राप्त मांग पत्र अनुसार आवंटित की जा चुकी है। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु लोक निर्माण विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है।

(2) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में संचालित योजनाओं के आवंटन एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु आवंटन एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार हैः-

क्र.	नाम योजना	राशि (लाख ₹ में)
1.	जबलपुर इकाई निर्माण कार्य	34.40
2.	भोपाल प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य	75.03
3.	ग्वालियर इकाई निर्माण कार्य	17.66
4.	रीवा इकाई निर्माण कार्य	300.00
	योग	**427.09**

भाग - चार

7. जांच आयोग

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न घटनाओं की जांच हेतु जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाता है। विगत वर्षो में गठित जांच आयोग का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	आयोग का नाम	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक	आयोग के अध्यक्ष का नाम	आयोग से जांच रिपोर्ट प्राप्त/अप्राप्त	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	भोपाल नगर निगम में अध्यक्ष चुनाव घटना जांच आयोग।	एफ 1-2/2000/1-10 दि. 29/01/2000	मान. न्यायमूर्ति श्री एस.के.दुबे, अध्यक्ष, म.प्र. उपभोक्ता विवाद आयोग	जांच रिपोर्ट प्राप्त	गृह विभाग में कार्यवाही प्रचलित
2.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की अनियमितता की जांच हेतु जांच आयोग।	एफ 22-15/2005/1-10 दि. 08/02/2008	मान. न्यायमूर्ति श्री एन. के. जैन	जांच रिपोर्ट प्राप्त	सामाजिक न्याय विभाग में कार्यवाही प्रचलित है।
3.	भोपाल यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस रिसाव जांच आयोग।	एफ 24-09/2010/1-10 दि. 25/08/2010	मान. न्यायमूर्ति श्री एस. एल. कोचर	जांच रिपोर्ट प्राप्त	गैस राहत विभाग में कार्यवाही प्रचलित
4.	जिला भिण्ड गोली चालन घटना न्यायिक जांच आयोग।	एफ 24-01/2012/1-10 दि. 12/07/2012	मान. श्री सी.पी. कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश	जांच रिपोर्ट प्राप्त	जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही हेतु गृह विभाग को दिनांक 17/01/2018 को भेजा गया।
5.	ग्वालियर में दिनांक 03/08/2015 को पुलिस मुठभेड़ में हुई धर्मेन्द्र कुशवाह की मृत्यु जांच आयोग।	एफ 24-3/2015/1-10 दि. 17/08/2015	मान. श्री सी.पी. कुलश्रेष्ठ, सेवानिवृत्त अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश	जांच रिपोर्ट प्राप्त	गृह विभाग में कार्यवाही प्रचलित
6.	पेटलावद जिला झाबुआ में दिनांक 12/09/2015 को हुई विस्फोट की घटना की जांच आयोग का गठन।	एफ24-05/2015/1-10 दि. 15/09/2015	मान. न्यायमूर्ति श्री आर्येन्द्र कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर	जांच रिपोर्ट प्राप्त	दिनांक 06/04/2016 को गृह विभाग भेजा गया। कार्यवाही प्रचलित।

क्र.	आयोग का नाम	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक	आयोग के अध्यक्ष का नाम	आयोग से जांच रिपोर्ट प्राप्त/अप्राप्त	रिमार्क
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7.	दि.30-31/10/2016 को भोपाल केन्द्रीय जेल से 8 बंदियों के भागने की घटना जांच आयोग	एफ 24-7/2016/1-10 दि. 07/11/2016	मान. न्यायमूर्ति श्री एस.के.पाण्डे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर	जांच रिपोर्ट प्राप्त।	जेल विभाग में कार्यवाही प्रचलित।
8.	दि. 12/10/2016 को पेटलावद जिला झाबुआ में मोहर्रम जुलूस रोके जाने की घटना जांच आयोग का गठन।	एफ 24-9/2016/1-10 दि. 20/11/2016	मान. श्री राजकुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश	जांच रिपोर्ट प्राप्त।	जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 30/11/2017 को गृह विभाग को भेजा गया।
9.	मंदसौर में घटित घटना जांच आयोग।	एफ 24-6/2017/1-10 दि. 12/06/2017	मान. न्यायमूर्ति श्री जे.के.जैन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर	जांच प्रतिवेदन अपेक्षित।	आयोग से जांच रिपोर्ट अपेक्षित। कार्यकाल में दिनांक 11/03/2018 तक वृद्धि की गई।

भाग - पांच

8. अभिनव योजना/कार्य

(1) दिनांक 01 नवम्बर, 2017 को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

(2) म.प्र. मंत्रालय भवन में विस्तार का कार्य प्रगति पर है तथा मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा समीक्षा की जाती है।

(3) मंत्रालय के कर्मचारियों के लिये शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु एक्वागार्ड व्यवस्था निरन्तर जारी है।

(4) शासकीय अभिलेखों को डिजिटल करने, कार्यालयों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करने, काम की गति व पारदर्शिता को बढावा देने और कागजरहित स्वच्छ कार्यप्रणाली के उद्देश्य से राज्य मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रणाली पर अमल शुरू भी कर दिया गया है।

भाग - छः

9. निकाले जा रहे प्रकाशन

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का संकलन वर्षवार प्रकाशित किया जाता है।

भाग - सात

10. महिला सशक्तिकरण

राज्य शासन का सामान्य प्रशासन विभाग महिलाओं के समग्र विकास के लिये नीतियों के निर्माण एवं उसके पालन के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कृत संकल्पित है। उल्लेखनीय है कि 19 मई, 1999 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये सभी विभागों में समितियों के गठन के संबंध में निर्देश जारी किये गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से सभी विभागों को उनके प्रशासनिक प्रतिवेदन में जेण्डर मुद्दों से संबंधित चेप्टर सम्मिलित करने के निर्देश पत्र क्रमांक एफ 11-19/2015/1/9 भोपाल, दिनांक 08/05/2015 के द्वारा जारी किये गए हैं। इसी तरह सभी विभागों को जेण्डर रिस्पोंसिव बजट की विभागीय स्तर समीक्षा एवं निगरानी के लिये जेण्डर सेल के गठन के भी निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से दिये गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर भी पत्र क्रमांक एफ 11-07/2016/1/9 भोपाल, दिनांक 15/02/2016 के माध्यम से प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में जेण्डर सेल का गठन किया गया।

जेण्डर संवेदनशीलता पर अनिवार्य प्रशिक्षण संबंधी बिन्दु को अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावाली में जोड़ने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्रीजी के द्वारा 19 मई, 2015 को महिला पंचायत में की गई थी। इसका पालन करते हुए पत्र क्रमांक 1017/11-26/2015/1/9 भोपाल, दिनांक 07/08/2015 के माध्यम से सभी विभागों के लिये निर्देश जारी किये गए हैं।

राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 में निम्नानुसार संशोधन किया है:-

''किन्ही सेवा नियमों में किसी बात के होते हुये भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (हॉरिजेण्टल एंड कम्पार्टमेंटवाइस) होगा।''

भाग - आठ

11. सारांश

सामान्य प्रशासन विभाग राज्य शासन का प्रमुख विभाग है जो सभी विभागों का समन्वय कर राज्य शासन की नीति/नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोक सेवकों की सेवा से संबंधित नियम/निर्देश, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं विभागीय जांच संबंधी नियम/ निर्देश जारी करने के साथ ही लोकायुक्त संगठन, मानव अधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य सूचना आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओ के प्रशासकीय विभाग का कार्य करता है।

सामान्य प्रशासन विभाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, निःशक्तजनों, स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों तथा महिलाओं के लिए शासकीय सेवा में आरक्षण संबंधी नियम/ निर्देश जारी करने के साथ ही शासकीय सेवा में इनके प्रतिनिधित्व की मॉनिटरिंग करता है।

जाति प्रमाण पत्र बनाने में आमजन को आ रही कठिनाई को दूर करते हुए इसका सरलीकरण किया जाकर जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है।

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र एवं अनुप्रमाणित शपथ पत्र के स्थान पर स्व घोषणा-पत्र लागू करने तथा दस्तावेज के स्व-प्रमाणीकरण को मान्य किया गया।

मंत्रालय संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की समय पर पदोन्नति सुनिश्चित की जा रही है। मंत्रालय में स्टाफ की अत्याधिक कमी को दृष्टिगत रखते हुए सीधी भर्ती से भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी के पदों को दो चरणों में भरने के प्रस्ताव पर कार्यवाही चल रही है।

संवेदनशील प्रशासन को महत्व देते हुए विभाग के अंतर्गत आने वाली स्थापनाओं के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के अचल संपत्ति विवरण वेबसाईट पर उपलब्ध कराने के साथ ही सभी संवर्गों की पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। वरिष्ठता सूचियां भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा विभागीय जांच एवं शिकायतों की प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया गया।

भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अपराधों पर रोक लगाने की दृष्टि से गठित आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को और अधिक सुदृढ बनाने के लिए उसका आधुनिकीकरण एवं उन्नयन किया गया है।

सुशासन की दृष्टि से प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार लाने, उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी द्वारा अनेक नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं।

: : :

परिशिष्ट - एक

सामान्य प्रशासन विभाग के कक्षों में कार्य आवंटन

कक्ष

1. कक्ष क्रमांक -1

1. शासन के कार्य आवंटन नियम तथा कार्य नियम
2. राजभवन
3. मंत्रि परिषद् (गठन, शपथ-विधि, मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम, बजट)
4. मंत्रि परिषद् की बैठक
5. मंत्रि परिषद् उप समितियों के गठन
6. मंत्रियों के विवेकाधीन निधि/जनसंपर्क दौरे/जनसंपर्क अनुदान
7. उच्च न्यायालय
8. लोक सेवा आयोग
9. प्रशासनिक अधिकरण
10. विलीनीकृत रियासतों से संबंधित मामले

    अर्थात

    (एक) एकीकरण करार

    (दो) राजाओं के व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार, उनकी निजी थैलियां निजी संपत्ति, और उनके परिवार के सदस्यों को भत्ते

    (तीन) विलीनीकरण के पूर्व ऐसी रियासतों में राज्य समारोहों के रुप में मनाये जाने वाले समारोह

11. वारंट ऑफ प्रेसिडेन्स

2. कक्ष क्रमांक -2(1)

राज्य प्रशासनिक सेवा से संबंधित स्थापना विषयक कार्य

1. नियुक्ति, सीधी भरती, विभागीय परीक्षा
2. प्रशिक्षण
3. गोपनीय प्रतिवेदन
4. पदोन्नति एवं क्रमोन्नति
5. सेवानिवृत्त
6. कैरियर प्लानिंग

7. वरिष्ठता निर्धारण, पदक्रम सूची
8. विधान सभा प्रश्न
9. न्यायालयीन प्रकरण
10. सूचना का अधिकार
11. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन
12. स्थानान्तरण
13. अवकाश स्थायीकरण, सेवानिवृत्ति, पुनर्नियुक्ति, सेवावृद्धि
14. परीक्षा अनुमति, परीक्षा में छूट
15. राज्य सीमा से बाहर की यात्रा

3. कक्ष क्रमांक -2(2)

राज्य प्रशासनिक सेवा से संबंधित विजिलेंस विषयक कार्य

1. विभागीय जांच/अपील
2. अभियोजन, शिकायत
3. अचल संपत्ति विवरण
4. पेंशन
5. निलंबन एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही
6. विधान सभा प्रश्न
7. न्यायालयीन प्रकरण
8. सूचना का अधिकार
9. वेतन निर्धारण
10. गृह निर्माण अग्रिम
11. जीआईएस/जीपीएफ आदि

4. कक्ष क्रमांक -3

1. शासकीय सेवकों की सेवा की सामान्य शर्ते
2. शासकीय सेवकों के विषय में आचरण एवं अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी नियम/निर्देश
3. अस्थाई एवं अर्द्ध स्थाई सेवा नियम
4. सेवा भरती नियम
5. सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति के मार्गदर्शी निर्देश
6. तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति के नियम/निर्देश/प्रतिनियुक्ति
7. हिन्दी मुद्रलेखन एवं शीघ्रलेखन परीक्षा सम्बन्धी नियम/निर्देश

8. मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013
9. अतिशेष कर्मचारियों का संविलियन
10. अनुकम्पा नियुक्ति
11. स्नातकोत्तर तथा अन्वेषणात्मक (डाक्टरेट) उपाधियां प्राप्त करने एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित अग्रिम वेतन वृद्धि
12. शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य
13. दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित कार्य
14. तदर्थ रुप से कार्यभारित तथा आकस्मिकता व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण, भरती नियम आदि
15. कर्मचारी संघो द्वारा समय-समय पर दिये गए ज्ञापनों/मांगो पर कार्यवाही
16. वेतनमानों का युक्तियुक्तकरण
17. वेतनमान/वेतनमान विसंगति के प्रकरण/वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं
18. पदनाम परिवर्तन
19. विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों को राजपत्रित घोषित किया जाना
20. वेतन आयोग की रिपोर्ट से संबंधित कार्य

5. कक्ष क्रमांक - 4(1)

1. राज्यपाल का अभिभाषण/कृतज्ञता ज्ञापन
2. भौगोलिक नामों में परिवर्तन
3. शासकीय भवनों का नामकरण
4. संसद सदस्यों की बैठक
5. संसद और विधान सभा के सदस्यों और प्रशासन के बीच समन्वय
6. सचिव समिति/विभिन्न समितियों का गठन
7. मध्यप्रदेश भवन, मध्यांचल भवन नई दिल्ली तथा मुबंई स्थित परिसम्पतियों से सम्बन्धित समस्त कार्य
8. राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गीत
9. राज्य चिन्ह
10. छुट्टियां
11. शासकीय प्रयोजनों के लिये राष्ट्रीय केलेण्डर
12. विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दो पर सामान्य निर्देश/अभिमत
13. उच्च पदस्थ व्यक्तियों का आगमन
14. राज्य अतिथिगृह और राज्य अतिथियों का आतिथ्य
15. पारितोषक और अलंकरण

16. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि
17. राष्ट्रपति से अलंकृत व्यक्तियों को वित्तीय सहायता से संबंधित मामले
18. राष्ट्रीय त्यौहार
19. राज्य के उत्सव और समारोह
20. संयुक्त राष्ट्र संघ
21. राजपत्र (असाधारण/राजपत्रों का प्रदाय)
22. महत्वपूर्ण घटनायें
23. विशिष्ट व्यक्तियों की मृत्यु और संवेदना संदेश (शोक)
24. विभिन्न मांग पत्र
25. टैरीटोरियल आर्मी
26. फील्ड फायरिंग रेंजेज
27. ऐसे विषय जो शासन के किसी विभाग को आवंटित न हो
28. भवन अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र से संबंधित कार्य
29. सामान्य चुनाव-सामान्य निर्देश, शिकायतें आदि
30. घोषणाएं-माननीय मुख्यमंत्रीजी/मंत्रीगण

6. कक्ष क्रमांक 4(2) (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)

राज्य पुनर्गठन से संबंधित समस्त कार्य

7. कक्ष क्रमांक 5

भारतीय प्रशासनिक सेवा

1. अधिकारियों की पदस्थापना, स्थानान्तर, पदोन्नति, सेवा नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति
2. गृह निर्माण, वाहन अग्रिम आदि
3. अवकाश, प्रशिक्षण
4. राज्य प्रशासनिक सेवा एवं अन्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति/चयन
5. वरिष्ठता निर्धारण, सिविल सूची, संवर्ग परिवर्तन
6. गोपनीय चरित्रावली का संधारण, अखिल भारतीय (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियम, 2007 के अनुसार 2007-08 से आगे के वर्षों के वार्षिक पी.ए.आर. डिस्क्लोज करने तथा प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण
7. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति, स्थाईकरण
8. विभिन्न राज्यों के लोक सभा/विधान सभा चुनाव के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति

8. कक्ष क्रमांक 6

भारतीय प्रशासनिक सेवा

1. शिकायतें, अनुशासनात्मक कार्यवाही, विभागीय जांच
2. संपत्ति प्रपत्र का संधारण आदि
3. सेवा अभिलेखों का संधारण
4. वेतनवृद्धि, वेतन निर्धारण, पेंशन, केन्द्रीय समूह बीमा योजना, जी.आई.एस.आदि लेखा संबंधी कार्य.
5. मंत्रालय सेवा के प्रथम श्रेणी अधिकारियों एवं अवरसचिव, उपसचिव, अपर सचिव, मान. मंत्रीजी के विशेष सहायक के सेवा अभिलेखों का संधारण वेतनवृद्धि, वेतन निर्धारण, वेतन पर्ची जारी करना

9. कक्ष क्रमांक 7(1)

मध्यप्रदेश मंत्रालय के तृतीय श्रेणी एवं तकनीकी कर्मचारियों के सभी प्रकार के सेवा संबंधी कार्य

1. नियुक्ति
2. पदोन्नति
3. परिवीक्षा/स्थायीकरण
4. पदस्थापना
5. अनुशासनात्मक कार्यवाही
6. पद निर्माण
7. कर्मचारियों के बायोडाटा का कम्प्यूटरीकरण
8. मंत्री स्थापना में स्टाफ की पूर्ति
9. बैंक ऋण
10. विभाग/कक्षों के कार्य बोझ का अध्ययन
11. आई. टी. सेल
12. गोपनीय प्रतिवेदन
13. पदक्रम सूची
14. मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति
15. मंत्रालय से अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति
16. लेखा प्रशिक्षण
17. कम्प्यूटर प्रशिक्षण
18. मंत्रालयीन कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण
19. 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों के संबंध में छानबीन समिति की कार्यवाही

10. कक्ष क्रमांक 7(2)

मध्यप्रदेश मंत्रालय के तृतीय श्रेणी एवं तकनीकी कर्मचारियों के सभी प्रकार के सेवा संबंधी कार्य

1. पेंशन

2. वेतन निर्धारण
3. वार्षिक एवं अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति
4. अचल संपत्ति का रख रखाव/चल-अचल संपत्ति क्रय/विक्रय की सूचना ग्राह्य करने की कार्यवाही।
5. अवकाश स्वीकृतियां
6. सामान्य भविष्य निधि नियम 1955 के अंतर्गत स्वीकृतियां
7. मध्यप्रदेश समूह बीमा योजना 1985 एवं मध्यप्रदेश परिवार कल्याण निधि योजना 1974 के अंतर्गत स्वीकृतियां, म.प्र. शासकीय कर्मचारी, बीमा-सह-बचत योजना, 2003
8. मध्यप्रदेश चिकित्सा परिचर्या नियम के अंतर्गत स्वीकृतियां
9. गृह भाड़ा भत्ता एवं सचिवालय भत्ता की स्वीकृतियां
10. मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम तथा यात्रा सुविधा नियमों के अंतर्गत दावों की स्वीकृतियां
11. मूलभूत नियमों के अंतर्गत मानदेय एवं फीस की स्वीकृतियां
12. अनुग्रह, अनुदान एवं विशेष वेतन स्वीकृतियां
13. सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्तियों का संधारण

11. कक्ष क्रमांक 7(3)

मंत्रालयीन सेवा एवं गैर भारतीय प्रशासनिक सेवा

1. गैर मंत्रालयीन सेवा (भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़कर) के अधिकारियों की पदस्थापना
2. मंत्रालयीन सेवा के अतिरिक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/स्टाफ ऑफिसर/निज सचिव/अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति/पदोन्नति
3. वेतन, वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि
4. अवकाश स्वीकृति
5. अनुशासनात्मक कार्यवाही, शिकायतें
6. सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति
7. वाहन अग्रिम, गृह निर्माण अग्रिम आदि
8. अचल संपत्ति विवरण का रख-रखाव एवं क्रय स्वीकृति आदि
9. गोपनीय प्रतिवेदन

12. कक्ष क्रमांक 8

विधान सभा से संबंधित समन्वय का कार्य

1. सामान्य प्रशासन विभाग में प्राप्त होने वाले अन्य विभाग से संबंधित विधान सभा प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचनायें, स्थगन प्रस्ताव का विभागों को आवंटन तथा विधान सभा आश्वासन, अपूर्ण उत्तरों का समन्वय
2. विभागीय समन्वय कार्य

3. विभागीय डाक वितरण व्यवस्था संबंधी कार्य
4. सामान्य प्रशासन विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार करना
5. न्यायालयीन प्रकरणों का समन्वय कार्य
6. विभागीय लोक लेखा समिति से संबंधित समन्वय कार्य

13. कक्ष क्रमांक 9(1)

1. प्रशासन अकादमी
2. प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण
3. मध्यप्रदेश की राज्य प्रशिक्षण नीति
4. विभिन्न विभागों की प्रशिक्षण संस्थाओं में समन्वय
5. म. प्र. सेटकॉम (सेटेलाइट प्रशिक्षण)
6. राज्य प्रशिक्षण परिषद
7. एकल नस्ती एवं राज्य स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था
8. सामान्य पुस्तक परिपत्र का पुनरीक्षण
9. मंत्रालय में फाइल मूव्हमेंट सिस्टम
10. मुख्य सचिव मॉनिटरिंग, उच्च प्राथमिकता योजनाओं का समन्वय, घोषणा-पत्र का समन्वय कार्य
11. सचिवालय पुस्तिका का पुनरीक्षण

14. कक्ष क्रमांक 9(2)

1. जिला सरकार प्रणाली
2. द्वि-स्तरीय शासन प्रणाली
3. ग्राम सरकार के गठन का समन्वय
4. प्रभारी सचिवों की नियुक्ति
5. निरीक्षण एवं निरीक्षण रोस्टर
6. सामान्य प्रशासन विभाग के अन्य कक्षों के विषय छोड़कर शेष का अंतर विभागीय समन्वय
7. टास्क समूह के प्रतिवेदनों पर कार्यवाहीयां/चुनाव घोषणापत्र पर कार्यवाही
8. स्थानांतरण नीति
9. गोपनीय चरित्रावली
10. विभिन्न विभागों के प्रशासकीय प्रतिवेदन
11. विघटित कक्ष-9 के अवशेष कार्य
12. नवगठित जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था
13. अंतर्राज्यीय परिषद/मध्यक्षेत्रीय परिषद

14.मुख्यमंत्री/विभागीय मंत्री/मुख्य सचिवों की बैठक, संभागीय आयुक्त/कलेक्टर्स की बैठक

15.विभागाध्यक्ष घोषित करना

16.महिला नीति

17.जनसुनवाई कार्यक्रम

18.मंथन

15. कक्ष क्रमांक 10

1. लोकायुक्त संगठन
2. मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन
3. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण, निवारण अधिनियम तथा इसके अंतर्गत कार्रवाई
4. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से संबंधित प्रकरण तथा प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य
5. अचल संपत्ति विवरण
6. जाली मेडिकल बिलों पर नियंत्रण संबंधी समस्त कार्य
7. जनता की शिकायतों के निवारण हेतु अनुविभागीय समितियां
8. जांच आयोग एवं समितियां

16. कक्ष क्रमांक 11

1. मंत्रालयीन अभिलेख, अभिलेखागार
2. पुस्तकालय
3. कनिष्ट सेवा चयन मण्डल

17. कक्ष क्रमांक 12(1)

1. मंत्रालय में कक्षों का आवंटन
2. मंत्रालय, वल्लभ भवन की साफ-सफाई व्यवस्था
3. मंत्रालय में होने वाली बैठकों की व्यवस्था
4. मंत्रालय के लिए फर्नीचर, क्रय मंत्रिगण/अधिकारियों द्वारा वांछित सामग्री की व्यवस्था
5. मंत्रालय में स्टेशनरी प्रदाय
6. कम्प्यूटर, फोटो कापीयर, टाईपराइटर, डुप्लीकेटिंग, घड़ियों की व्यवस्था/रखरखाव
7. लिफ्ट, पानी तथा विद्युत व्यवस्था
8. मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रवेश-पत्र
9. सेन्ट्रल डाक व्यवस्था
10. वर्दी का प्रदाय
11. पार्किंग व्यवस्था, केंटीन व्यवस्था एवं रद्दी नीलामी

18. कक्ष क्रमांक 12(2)

1. मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थापना/पदस्थापना
2. मंत्रिगणों की स्थापना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन, वेतनवृद्धि, पेंशन आदि
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अग्रिम-अनाज, आदि

19. कक्ष क्रमांक 13

1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करना
2. राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को राज्य सम्मान निधि
3. केन्द्रीय सम्मान निधि के प्रकरणों का केन्द्रीय पेंशन नियमों के अंतर्गत शासन की अनुशंसा प्रेषित करना
4. स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को सम्मान निधि, मृत्यु उपरांत अंत्येष्टि के लिये आर्थिक सहायता तथा गंभीर बीमारियों के लिये आर्थिक सहायता, बजट प्रावधान/आवंटन
5. मिसा/डी.आइ.आर में निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान निधि

20. कक्ष क्रमांक 14 (तीन कक्ष हैं)

1. मंत्रालय का लेखा संबंधी कार्य
2. सामान्य प्रशासन विभाग के बजट का समन्वय
3. वित्तीय मामलों से संबंधित समस्त अन्य कार्य

21. कक्ष क्रमांक 15

1. राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री परिषद का गठन, बैठक
2. कर्मचारी संघों को पत्राचार की मान्यता प्रदाय करना
3. विभागीय/विभागाध्यक्ष/संभाग/जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समितियों के गठन की जानकारी
4. सतर्कता समिति की बैठकों से संबंधित कार्य
5. संयुक्त परामर्शदात्री समिति
6. पत्राचार की सुविधा प्राप्त कर्मचारी संघों से प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही।

प्रकोष्ठ

1. आरक्षण प्रकोष्ठ

1. लोक सेवा एवं पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण आदि से संबंधित अधिनियम/नियम/निर्देश तथा उनका समन्वय कार्य

2. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 के तहत की गई कार्यवाही का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत करना
3. भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों की नियुक्तियों में आरक्षण तथा सुविधाओं से संबंधित नियम/निर्देश
4. महिलाओं के लिये राज्य शासन की सेवाओं में आरक्षण संबंधी नियम/निर्देश
5. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन-समन्वय

2. मानव अधिकार प्रकोष्ठ

1. मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायत से संबंधित समस्त कार्य

3. पेंशन प्रकोष्ठ

1. मंत्रालय सेवा के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का अन्तिम निराकरण कराया जाना.
2. मंत्रालयीन कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन निर्धारण से संबंधित कार्य
3. राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का परीक्षण एवं उनका अन्तिम निराकरण कराया जाना आदि

4. पंच-ज प्रकोष्ठ

जन, जल, जंगल, जमीन एवं जानवरों से संबंधित शासन द्वारा घोषित कार्यक्रम एवं समन्वय कार्य.

5. स्थानान्तर प्रकोष्ठ

प्रथम श्रेणी अधिकारियों से प्राप्त स्थानान्तरण संबंधी अभ्यावेदन पर कार्यवाही

6. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन तथा मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग से संबंधित प्रशासनिक कार्य

7. सुशासन प्रकोष्ठ

दिनांक 27-28/09/2014 को मंथन-2014 का आयोजन किया गया।

8. मुख्य सचिव कार्यालय

मंत्रि-परिषद की बैठक की तैयारी एवं बैठक का आयोजन

9. सत्कार कार्यालय

1. राज्य अतिथि घोषित करना, उनकी अगवानी बिदाई तथा उनके आतिथ्य से संबंधित अन्य व्यवस्था
2. अतिविशिष्ट गणों के प्रदेश भ्रमण पर अगवानी, बिदाई, परिवहन व्यवस्था आदि
3. शासकीय भोज के आयोजन पत्र के निमंत्रण संबंधी व्यवस्था
4. व्हीआईपी गेस्ट हाउस एवं सर्किट हाउस में कक्ष आरक्षण
5. विभिन्न राज्यो के सत्कार कार्यालयों से समन्वय

परिशिष्ट - दो

राज्य शासन के विभागों के नामों की सूची

एक	सामान्य प्रशासन विभाग
दो	गृह विभाग
तीन	जेल विभाग
चार	वित्त विभाग
पांच	वाणिज्यिक कर विभाग
छः	धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग
सात	राजस्व विभाग
आठ	परिवहन विभाग
नौ	खेल और युवा कल्याण विभाग (दिनांक 16/07/2007 से परिवर्तित)
दस	वन विभाग
ग्यारह	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (01/01/2018 से परिवर्तित नाम)
बारह	खनिज साधन विभाग
तैरह	ऊर्जा विभाग
चौदह	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (04/01/2007 से कृषि विभाग का परिवर्तित नाम)
पंद्रह	सहकारिता विभाग
सौलह	श्रम विभाग
सतरह	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
अठारह	नगरीय विकास एवं आवास विभाग (30/06/2016 से नाम परिवर्तित)
उन्नीस	लोक निर्माण विभाग
बीस	स्कूल शिक्षा विभाग
इक्कीस	विधि और विधायी कार्य विभाग
बाईस	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
तैईस	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग
चौईस	जनसंपर्क विभाग
पच्चीस	जनजातीय कार्य विभाग (दिनांक 27/07/2017 से नाम परिवर्तित)
छब्बीस	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग (दिनांक 11/09/2013 से परिवर्तित)
सत्ताईस	नर्मदा घाटी विकास विभाग
X अट्ठाईस	(विलोपित - पुनर्वास विभाग - 19/07/2016)
उन्नतीस	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
तीस	संस्कृति विभाग
इकत्तीस	जल संसाधन विभाग
X बत्तीस	(विलोपित - आवास और पर्यावरण विभाग - 15/07/2014)

तैंतीस	पर्यटन विभाग
चौंतीस	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
पैंतीस	पशुपालन विभाग
छत्तीस	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग (दिनांक 17/05/2012 द्वारा नाम परिवर्तन)
X सैंतीस	(विलोपित-डेयरी विकास - 03/01/2000)
अड़तीस	उच्च शिक्षा विभाग
X उन्तालीस	(विलोपित - लघु सिंचाई - 24/12/1986)
X चालीस	(विलोपित - आयाकट - 17/08/2001)
इकतालीस	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (दिनांक 12/02/2015 द्वारा नाम परिवर्तन)
बयालीस	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग (दिनांक 01/01/2018 द्वारा नाम परिवर्तन)
X तिरतालीस	(विलोपित - बीस सूत्र कार्यान्वयन - 17/09/2010)
X चौवालीस	(विलोपित - सार्वजनिक उपक्रम विभाग - दिनांक 19/03/2014)
पैंतालीस	विमानन विभाग
X छयालीस	(विलोपित - नगरीय कल्याण - 22/08/1998)
सैंतालीस	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग
अड़तालीस	संसदीय कार्य विभाग
X उनन्चास	(विलोपित - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण - 22/11/1990)
पचास	महिला एवं बाल विकास विभाग
X इक्यावन	(विलोपित - बायो गैस विकास - 06/07/1992)
बावन	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (13/10/2010)
X तिरपन	(विलोपित - जन शिकायत निवारण विभाग - 09/05/2017)
चौवन	पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
पचपन	चिकित्सा शिक्षा विभाग
X छप्पन	(विलोपित - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग - 28/07/2014)
X सत्तावन	(विलोपित - जैव विविधता (बायोडायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी) विभाग - 25/08/2014)
अट्ठावन	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग (22/12/2005)
उनसठ	आयुष विभाग (09/09/2008)
साठ	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग (05/10/2010)
इकसठ	लोक सेवा प्रबंधन विभाग (17/09/2010)
बासठ	विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग (22/06/2011)
तिरेसठ	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (21/07/2011)
चौसठ	प्रवासी भारतीय विभाग (15/05/2015)
पेंसठ	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (05/04/2016)
छियासठ	पर्यावरण विभाग (30/06/2016)
सढ़सठ	आनंद विभाग (06/08/2016)

-:-:-:-

विभागीय समीक्षा बैठक

मंत्रालय में ई–ऑफिस प्रणाली प्रशिक्षण

राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण